



**Quick
Book**



भारतीय अर्थव्यवस्था









संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा
मुख्य परीक्षाओं के लिये समान रूप से उपयोगी

Think
IAS






Think
Drishti

Quick Book शृंखला की पुस्तकें



अन्य परीक्षोपयोगी पुस्तकें



विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596



भारतीय अर्थव्यवस्था (तृतीय संस्करण)



दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:

www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com

E-mail :

info@drishtipublications.com

तृतीय संस्करण- अप्रैल 2019

मूल्य : ₹ 330

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,

(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- ★ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये जिम्मेदार नहीं है।
- ★ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- ★ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- ★ © **कॉपीराइट**: दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- ★ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

प्रिय पाठको,

दृष्टि पब्लिकेशन्स की 'Quick Book' शृंखला की बहुप्रतीक्षित पुस्तकों में से एक 'भारतीय अर्थव्यवस्था' के तृतीय एवं परिवर्द्धित संस्करण को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। गौरतलब है कि इस पुस्तक का प्रथम संस्करण दिसंबर 2017 में प्रकाशित हुआ था जिसे पाठकों ने हाथों-हाथ लिया और काफी सराहा। पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भी पाठक वर्ग से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। साथ ही हमें पाठकों द्वारा इसे मुख्य परीक्षा के लिये और अधिक उपयोगी बनाने के सुझाव भी प्राप्त हुए। अतः इस संस्करण में हमने मुख्य परीक्षा के लिहाज से उपयोगी कुछ नए अध्यायों का समावेश किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यह पुस्तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिये समान रूप से उपयोगी है। पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं का सरल, बोधगम्य, रुचिकर और प्रवाहमय भाषा में प्रस्तुतीकरण किया गया है। अर्थव्यवस्था से संबंधित जटिल अवधारणाओं को बेहद वैज्ञानिक ढंग से रेखाचित्रों, फ्लोचार्टों, आरेखों एवं सारणियों के माध्यम से समझाया गया है।

विगत कुछ वर्षों के दौरान संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में 'भारतीय अर्थव्यवस्था' विषय के महत्त्व में वृद्धि हुई है। जब हमारी टीम ने बाज़ार में उपलब्ध भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों का गहन विश्लेषण किया तो पाया कि अधिकतर पुस्तकें परंपरागत पाठ्यक्रमां एवं अवधारणाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। इन पुस्तकों की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है एवं इनमें दी गई जानकारीयों भी अद्यतन नहीं हैं। साथ ही यह भी देखा गया कि इनमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप, नई अवधारणाओं एवं विश्लेषणों का नितांत अभाव है।

उपर्युक्त सभी समस्याओं का समाधान करने के लिये 'दृष्टि पब्लिकेशन्स' द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप के अनुसार नई अवधारणाओं एवं विश्लेषणों का समावेश किया गया है। इसमें तीव्र आर्थिक संवृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की भावी रणनीतियों को 'नीति आयोग-तीन वर्षीय कार्य एजेंडा' और 'स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया @ 75' के माध्यम से समझाने का प्रयास तथा देश के सबसे बड़े कर सुधार 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) का विस्तृत विश्लेषण भी किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, यथा- कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में होने वाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों एवं विकासक्रमों को प्रस्तुत करते हुए अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों एवं सूचकांकों के माध्यम से भारत सहित विश्व के प्रमुख देशों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन का भी विश्लेषण किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं एवं तथ्यों को 21 अध्यायों के अंतर्गत लगभग 350 पृष्ठों में समेटना अपने-आप में हमारी टीम के लिये चुनौतीपूर्ण कार्य रहा, अंततः इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुँचाया गया। यह पुस्तक परीक्षा की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आई.ए.एस. 2018 की प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें अर्थव्यवस्था खंड से संबंधित प्रश्नों में 50% से अधिक प्रश्न हमारी 'भारतीय अर्थव्यवस्था' पुस्तक से आए हैं। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अपने पाठकों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें और उनकी सफलता में पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभा सकें।

पुस्तक में एनसीईआरटी, इग्नू, एनआईओएस तथा अनेक सरकारी वेबसाइटों के मूल तथ्यों और विश्लेषणों से प्राप्त जानकारीयों को सरल एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अवधारणाओं एवं तथ्यों को समसामयिक घटनाक्रम से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है, साथ ही भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बिंदुवार विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत संकलन किया गया है, ताकि पाठक को यह अंदाज़ा रहे कि संबंधित अध्याय से परीक्षा में किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तृतीय संस्करण में IAS मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। इन प्रश्नों के अभ्यास से आपकी तैयारी को सही मार्गदर्शन मिलेगा तथा आप अपनी जानकारी का स्वमूल्यांकन भी कर सकेंगे। अशुद्धियों की संभावना न्यूनतम रहे, इसलिये पुस्तक का कई चरणों में सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। तथ्यों और आँकड़ों को विश्वसनीय स्रोतों से पूर्णतः अद्यतित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुस्तक की रचना में शुरू से अंत तक गुणवत्ता एवं विषय संबंधी अवधारणात्मक समझ को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई है।

हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक समझ विकसित कर, आपकी तैयारी एवं सफलता में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक को एक पाठक के साथ-साथ आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। अगर आपको कोई भी कमी दिखे तो बेझिझक 8130392355 नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें। आपकी टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर ही हम पुस्तक को और बेहतर व प्रामाणिक बना सकेंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था : एक नज़र में 1-7

- अर्थशास्त्र
 - ◆ अर्थशास्त्र का वर्गीकरण
 - व्यष्टि अर्थशास्त्र
 - समष्टि अर्थशास्त्र
 - ◆ व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर
- अर्थव्यवस्था
 - ◆ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
 - प्राथमिक क्षेत्र
 - द्वितीयक क्षेत्र
 - तृतीयक क्षेत्र
 - चतुर्थक क्षेत्र
 - पंचक क्षेत्र
 - ◆ अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण/स्वरूप
 - राज्य की भूमिका के आधार पर
 - ❖ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
 - ❖ मिश्रित अर्थव्यवस्था
 - विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर
 - ❖ विकसित अर्थव्यवस्था
 - ❖ अल्पविकसित अर्थव्यवस्था
 - ❖ विकासशील अर्थव्यवस्था
 - विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर
 - ❖ कृषक अर्थव्यवस्था
 - ❖ औद्योगिक अर्थव्यवस्था
 - ❖ सेवा अर्थव्यवस्था
 - शेष विश्व के साथ अंतर्संबंधों के आधार पर
 - ❖ खुली अर्थव्यवस्था
 - ❖ बंद अर्थव्यवस्था
 - नियोजन के आधार पर
 - ❖ योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था
 - ❖ गैर-योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था
 - निर्भरता के आधार पर
 - ❖ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था
 - ❖ आश्रित अर्थव्यवस्था
 - ❖ परस्पर-निर्भर अर्थव्यवस्था
 - प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

2. राष्ट्रीय आय 8-16

- सामान्य परिचय
 - ◆ राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ
 - बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद
 - बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद
 - बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद

- बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
- साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद
- साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
- साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद
- साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद/राष्ट्रीय आय
- ◆ राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं में अंतर्संबंध
- ◆ सकल मूल्य वृद्धि
- ◆ वैयक्तिक आय
- ◆ व्यक्तिगत व्यय योग्य आय
- ◆ प्रति व्यक्ति आय
- ◆ राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएँ : एक नज़र में
- ◆ राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ
 - उत्पादन विधि
 - व्यय विधि
 - आय विधि
- ◆ राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किये गए परिवर्तन
- ◆ राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदें
- ◆ राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली मदें
- ◆ राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ
- ◆ धारणीय विकास
- ◆ राष्ट्रीय आय से संबंधित आँकड़े
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

3. आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास 17-36

- सामान्य परिचय
 - ◆ आर्थिक संवृद्धि
 - ◆ आर्थिक विकास
 - ◆ आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर
 - ◆ आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक
 - ◆ कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट
 - वैश्विक भूख सूचकांक, 2018
 - सामाजिक प्रगति सूचकांक, 2018
 - मानव विकास सूचकांक, 2018
 - असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक
 - लैंगिक असमानता सूचकांक
 - बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2018

- लैंगिक विकास सूचकांक
- मानव पूंजी सूचकांक, 2018
- सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, 2018
- सतत विकास लक्ष्य (एचडीआई) भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट, 2018
- वैश्विक शांति सूचकांक, 2018
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2018
- हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, 2016
- सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2018
- लेगाटम समृद्धि सूचकांक, 2018
- द गुड कंट्री इंडेक्स, 2019
- नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, 2016
- कारोबार सुगमता सूचकांक, 2019
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2018
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, 2018
- ◆ विश्व के विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी सूचकांक तथा उनसे संबंधित विषय-वस्तु
- ◆ आर्थिक संवृद्धि तथा मानव विकास में संबंध
- ◆ आर्थिक विकास विहीन आर्थिक संवृद्धि
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

4. भारत में भूमि सुधार37-48

- भूमि सुधार
 - ◆ संस्थागत सुधार
 - ◆ तकनीकी सुधार
- स्वतंत्रता-पूर्व भारत में भू-राजस्व प्रणालियाँ
 - ◆ ज़मींदारी/स्थायी/इस्तमरारी व्यवस्था
 - ◆ रैयतवाड़ी व्यवस्था
 - ◆ महालवाड़ी व्यवस्था
- भूमि सुधार के उद्देश्य
- भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा
 - ◆ विचौलियों/मध्यस्थों का अंत
 - ◆ काश्तकारी सुधार
 - ◆ भूमि का पुनर्गठन
 - ◆ संवैधानिक एवं वैधानिक उपाय
- भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और (संशोधन) अध्यादेश, 2015
- कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम, 2016

- भारत में भूमि सुधारों की आलोचना
- भूमि सुधार हेतु सुझाव
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

5. कृषि क्षेत्र49-76

- सामान्य परिचय
 - ◆ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व
 - ◆ भारतीय कृषि का स्वरूप
 - ◆ कृषि आदान
 - ◆ भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएँ
 - ◆ भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार
 - संस्थागत सुधार
 - तकनीकी सुधार
 - सामान्य सुधार
 - ◆ भारत में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के प्रकार
 - व्यापारिक फसलें
 - जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें
 - बागवानी फसलें
 - ◆ अनुबंध आधारित कृषि
 - ◆ जैविक उर्वरक
 - ◆ जैविक कृषि
 - ◆ हरित क्रांति
 - ◆ फसल पद्धति
 - ◆ कृषि वित्त
 - ◆ किसान क्रेडिट कार्ड
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
 - ◆ भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक
 - ◆ कृषि कीमत नीति
 - ◆ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
 - ◆ कृषि विपणन
 - भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था में विद्यमान दोष
 - कृषि विपणन में सुधार के उपाय
 - ◆ आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि बाजार
 - ◆ कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी
 - ◆ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
 - ◆ कृषि उत्पादों/जिंसों का वायदा बाजार
 - ◆ विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि सब्सिडी
 - ग्रीन बॉक्स सब्सिडी
 - अंबर बॉक्स सब्सिडी
 - ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- ◆ कृषि उत्पादन एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय
- ◆ कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम
 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
 - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
 - परंपरागत कृषि विकास योजना
 - राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
 - प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
- ◆ कृषि गणना 2015-16
- खाद्य प्रसंस्करण
 - ◆ खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार
 - ◆ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति के कारक
 - ◆ भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व/लाभ
 - ◆ भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएँ
 - ◆ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ
 - ◆ भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का SWOT विश्लेषण
 - ◆ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये सुझाव
 - ◆ मेगा फूड पार्क
 - ◆ खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
 - ◆ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के उद्देश्य एवं कार्य
 - ◆ भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
 - ◆ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
 - ◆ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

6. औद्योगिक क्षेत्र77-104

- सामान्य परिचय
 - ◆ औद्योगिक विकास का महत्त्व
 - ◆ औद्योगिक नीतियाँ

■ औद्योगिक नीति, 1948	■ औद्योगिक नीति, 1977
■ औद्योगिक नीति, 1956	■ औद्योगिक नीति, 1980
■ औद्योगिक नीति, 1969	■ औद्योगिक नीति, 1986
■ औद्योगिक नीति, 1973	■ औद्योगिक नीति, 1991
 - ◆ औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
 - ◆ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
 - ◆ कोर इंडस्ट्रीज
 - ◆ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
 - ◆ महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के उद्योग
 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 12 सूत्री कार्य योजना
 - विशेष आर्थिक क्षेत्र
 - निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
 - विनिवेश
 - राष्ट्रीय निवेश कोष
 - औद्योगिक अस्वस्थता/रुग्णता
 - दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016
 - दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018
 - राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011
 - राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन
 - दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा
 - औद्योगिक वित्त
 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
 - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
 - राज्य वित्त निगम
 - भारत में विदेशी पूंजी अंतर्वाह
 - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
 - कंपनी अधिनियम, 2013 एवं कंपनी (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2019
 - प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
 - भारत में औद्योगिक विकास के सम्मुख समस्याएँ
 - जीएसटी का कार्यान्वयन और उद्योगों पर इसका प्रभाव
 - बौद्धिक संपदा अधिकार
 - चौथी औद्योगिक क्रांति
 - औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम

■ मेक इन इंडिया	■ ई-विज मिशन परियोजना
■ इन्वेस्ट इंडिया	■ स्टार्टअप इंडिया
■ स्टैंडअप इंडिया	■ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
■ नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, 2016	
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

7. भारत में सेवा क्षेत्र 105-115

- सामान्य परिचय
 - ◆ सेवा क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य
 - ◆ सेवा क्षेत्र में भारतीय परिदृश्य
 - ◆ भारत में तीव्र वृद्धि दर वाले सेवा क्षेत्र
 - व्यावसायिक सेवाएँ

- संचार सेवाएँ
- व्यापार
- बैंकिंग सेवाएँ
- सामुदायिक सेवाएँ, होटल व रेस्तराँ
- वैयक्तिक सेवाएँ
- परामर्श सेवाएँ
- आंतरिक व्यापार
- अनुसंधान और विकास
- पर्यटन क्षेत्र
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएँ
- ◆ भारत में सेवा क्षेत्र में तेज़ संवृद्धि के कारण
- ◆ सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएँ
 - राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018
 - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति-2013
 - राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2002
 - स्वदेश दर्शन योजना
 - प्रसाद योजना
- ◆ सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)
- ◆ भारत में सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ
- ◆ भारत में सेवा क्षेत्र में की गई सरकारी पहलें
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

8. आर्थिक नियोजन 116-126

- आर्थिक नियोजन
 - ◆ नियोजन के उद्देश्य
 - ◆ नियोजन के प्रकार
 - राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर
 - ❖ आदेशात्मक नियोजन
 - ❖ निर्देशात्मक नियोजन
 - लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर
 - ❖ संरचनात्मक नियोजन
 - ❖ प्रकार्यात्मक नियोजन
 - योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर
 - ❖ केंद्रीकृत नियोजन
 - ❖ विकेंद्रीकृत नियोजन
 - क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर
 - ❖ राष्ट्रीय नियोजन
 - ❖ क्षेत्रीय नियोजन

- ◆ भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ
- ◆ आर्थिक नियोजन की सफलता के लिये आवश्यक तत्त्व
- ◆ योजना आयोग
 - योजना आयोग के कार्य
 - योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची
 - योजना आयोग के उपाध्यक्षों की सूची
- ◆ राष्ट्रीय विकास परिषद्
 - राष्ट्रीय विकास परिषद् की संरचना
 - राष्ट्रीय विकास परिषद् के कार्य
- ◆ भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ
- ◆ भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ : लक्ष्य, उपलब्धियाँ एवं उद्देश्य
- ◆ भारत में नियोजन की उपलब्धियाँ
- ◆ इंडिया विज़न 2020
- ◆ नियोजन की असफलताएँ
- ◆ पंचवर्षीय योजना की समाप्ति
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

9. नीति आयोग 127-174

- नीति आयोग
 - ◆ नीति आयोग के उद्देश्य
 - ◆ नीति आयोग की संरचना
 - ◆ योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर
- नीति आयोग का तीन वर्षीय कार्य एजेंडा (2017-18 से 2019-20)
 - ◆ तीन वर्षों के लिये आय एवं व्यय
 - संदर्भ एवं रणनीति
 - विकास दृष्टिकोण एवं संसाधनों का पूर्वानुमान
 - व्यय
 - ◆ प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन
 - कृषि क्षेत्र : किसानों की आय को दुगुना करना
 - व्यापार, उद्योग एवं सेवा : बेहतर भुगतान वाले रोजगार के अवसरों का सृजन करना
 - ◆ क्षेत्रीय विकास
 - शहरी विकास
 - ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन
 - क्षेत्रीय विकास से संबंधित रणनीति
 - ◆ संवृद्धि सहायक कारक
 - परिवहन एवं संपर्क
 - डिजिटल कनेक्टिविटी
 - सार्वजनिक-निजी भागीदारी
 - ऊर्जा
 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
 - नवोन्मेष पारितंत्र का निर्माण करना

- ◆ सरकार
 - सुशासन
 - कर नीति एवं प्रशासन
 - प्रतिस्पर्धात्मक नीतियाँ और विनियमन
 - विधि का शासन
- ◆ सामाजिक क्षेत्र
 - शिक्षा एवं कौशल विकास
 - स्वास्थ्य
 - एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण की ओर
- ◆ संवहनीयता
 - पर्यावरण एवं वन
 - जल संसाधनों का संवहनीय प्रबंधन
- स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया @ 75
 - ◆ वाहक
 - विकास
 - रोजगार एवं श्रम सुधार
 - तकनीकी एवं नवाचार
 - उद्योग
 - किसानों की आय को दुगुनी करना (I): कृषि का आधुनिकीकरण
 - किसानों की आय को दुगुनी करना (II): नीति एवं प्रशासन
 - किसानों की आय को दुगुनी करना (III): मूल्य शृंखला तथा ग्रामीण अवसंरचना
 - वित्तीय समावेशन
 - सभी के लिये आवास
 - यात्रा, पर्यटन एवं आतिथ्य
 - खनिज
 - ◆ अवसंरचना
 - ऊर्जा
 - थल परिवहन
 - रेलवे
 - नागरिक उड्डयन
 - बंदरगाह, जल परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग
 - लॉजिस्टिक
 - डिजिटल कनेक्टिविटी
 - शहरी परिवर्तन के लिये स्मार्ट सिटी
 - स्वच्छ भारत मिशन
 - जल संसाधन
 - सतत पर्यावरण
 - ◆ समावेशन
 - विद्यालयी शिक्षा
 - उच्च शिक्षा
 - अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण
 - कौशल विकास
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं कार्यवाही
- समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
- स्वास्थ्य के लिये मानव संसाधन
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
- पोषण
- जेंडर
- वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर
- अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), अन्य जनजाति समूह तथा अल्पसंख्यक
- ◆ प्रशासन
 - संतुलित क्षेत्रीय विकास : आकांक्षी जिलों का परिवर्तन
 - उत्तर-पूर्व क्षेत्र
 - विधिक, न्यायिक तथा पुलिस सुधार
 - सिविल सेवा सुधार
 - शहरी परिवर्तन के लिये शहरी प्रशासन का आधुनिकीकरण
 - भूमि संसाधन का अनुकूलतम उपयोग
 - आँकड़ों पर आधारित प्रशासन तथा नीति-निर्माण
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

10. गरीबी 175-183

- सामान्य परिचय
 - ◆ गरीबी के प्रकार
 - सापेक्षिक गरीबी
 - निरपेक्ष गरीबी
 - ◆ गरीबी/निर्धनता के कारण
 - ◆ निर्धनता जाल/दुश्चक्र
 - ◆ बहुआयामी गरीबी/निर्धनता सूचकांक
 - ◆ भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियाँ
 - डॉ. वाई. के. अलघ समिति
 - लकड़ावाला समिति
 - सुरेश तेंदुलकर समिति
 - सी. रंगराजन समिति
 - डॉ. अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स
 - ◆ भारत में गरीबी अनुमान
 - ◆ गरीबी के दुष्परिणाम
 - ◆ गरीबी को दूर करने के उपाय
 - ◆ गरीबी निवारण के लिये तीन दृष्टिकोण
 - ◆ यूनिवर्सल बेसिक इनकम
 - ◆ गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम
 - प्रधानमंत्री उज्वला योजना
 - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

11. बेरोज़गारी 184-193

- सामान्य परिचय
 - ◆ भारत में बेरोज़गारी के प्रकार
 - शहरी बेरोज़गारी
 - ❖ औद्योगिक बेरोज़गारी
 - ❖ शिक्षित बेरोज़गारी
 - ग्रामीण बेरोज़गारी
 - ❖ प्रच्छन्न बेरोज़गारी
 - ❖ मौसमी बेरोज़गारी
 - ◆ बेरोज़गारी के अन्य प्रकार
 - खुली बेरोज़गारी
 - संरचनात्मक बेरोज़गारी
 - अल्प रोज़गार
 - ❖ दृश्य अल्प रोज़गार
 - ❖ अदृश्य अल्प रोज़गार
 - संघर्षात्मक/घर्षणात्मक बेरोज़गारी
 - चक्रीय बेरोज़गारी
 - ◆ बेरोज़गारी की अवधारणाएँ
 - सामान्य स्थिति बेरोज़गारी
 - साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी
 - दैनिक स्थिति बेरोज़गारी
 - सामान्य सैद्धांतिक एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण
 - ◆ भारत में बेरोज़गारी के कारण
 - ◆ बेरोज़गारी के परिणाम
 - आर्थिक परिणाम
 - सामाजिक परिणाम
 - ◆ भारत में बेरोज़गारी दूर करने के संबंध में सुझाव
 - ◆ बेरोज़गारी से संबंधित सरकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम
 - पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते कार्यक्रम
 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
 - कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति, 2015
 - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम
 - प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना
 - अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
 - प्रधानमंत्री युवा योजना
 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

12. खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक 194-204

- सामान्य परिचय
- खाद्य सुरक्षा भी परिभाषा
- खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्त्वपूर्ण क्यों
- खाद्य सुरक्षा नेटवर्क एवं सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किये गए विभिन्न कार्यक्रम
 - ◆ सार्वजनिक वितरण प्रणाली
 - ◆ पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
 - ◆ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
 - ◆ अंत्योदय अन्न योजना
 - ◆ एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम
 - ◆ दोपहर भोजन योजना
 - ◆ अन्नपूर्णा योजना
 - ◆ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
- भारतीय खाद्य निगम
- भारतीय खाद्य निगम की भूमिका एवं पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की रिपोर्ट
- बफर स्टॉक
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

13. मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र 205-215

- सामान्य परिचय
 - ◆ मुद्रास्फीति संबंधी अवधारणाएँ
 - ◆ आर्थिक विकास एवं मुद्रास्फीति में संबंध
 - ◆ फिलिप्स वक्र
 - ◆ मुद्रास्फीति के प्रकार
 - ◆ मुद्रास्फीति के कारण
 - ◆ मुद्रास्फीति की गणना
 - ◆ आधार प्रभाव
 - ◆ मुद्रास्फीति के सूचक
 - ◆ मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव
 - ◆ भारत में ऊँची मुद्रास्फीति के कारण
 - ◆ मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के संदर्भ में अपनाए जाने वाले उपाय एवं नीतियाँ
 - ◆ मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास
 - ◆ व्यापार चक्र
 - तेज़ी या संवृद्धि
 - सुस्ती या स्लोडाउन
 - अवसाद या मंदी
 - गर्त
 - सुधार या पुनरुत्थान
 - उछाल

- ◆ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत
 - अहस्तक्षेप की नीति
 - कीन्सियन पंप प्राइमिंग तथा महामंदी
 - डबल-डिप रिसेशन
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

14. मुद्रा बाज़ार एवं बैंकिंग प्रणाली 216-247

- वित्तीय बाज़ार
 - ◆ मुद्रा बाज़ार
 - ◆ पूंजी बाज़ार
- मुद्रा
 - ◆ मुद्रा के कार्य
 - ◆ मुद्रा के प्रकार
- भारतीय रिज़र्व बैंक
 - ◆ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्य
- मौद्रिक नीति
 - ◆ मौद्रिक नीति प्रक्रिया
 - ◆ मौद्रिक नीति के उद्देश्य
 - ◆ मौद्रिक नीति के उपकरण
 - मात्रात्मक उपकरण
 - ◆ बैंक दर
 - ◆ रिवर्स रेपो दर
 - ◆ वैधानिक तरलता अनुपात
 - ◆ रेपो दर
 - ◆ नकद आरक्षित अनुपात
 - ◆ खुले बाज़ार की क्रियाएँ
 - गुणात्मक उपकरण
 - ◆ चयनात्मक साख नियंत्रण
 - ◆ सीमांत आवश्यकता
 - ◆ नैतिक प्रभाव
 - ◆ साख की राशनिंग
 - तरलता समायोजन सुविधा
 - सीमांत स्थायी सुविधा
 - बाज़ार स्थिरीकरण योजना
- भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप
- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ
 - ◆ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ
 - ◆ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
 - ◆ प्राथमिक डीलर
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार
 - ◆ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र
- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ
 - ◆ सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियाँ
 - ◆ हानि वाली परिसंपत्तियाँ
 - ◆ संदिग्ध परिसंपत्तियाँ
- प्रोजेक्ट सशक्त
- दोहरे तुलन पत्र की समस्या
- इरादतन चूककर्ता
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात
- बेसल मानक
- पूंजी संरक्षण बफर
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
- अनिवासी भारतीय जमा
- वित्तीय प्रपत्र
 - ◆ ट्रेजरी बिल
 - ◆ वाणिज्यिक प्रपत्र
 - ◆ जमा प्रमाण पत्र
 - ◆ अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र
- बिटकॉइन
- यूपीआई
- भीम एप
- पीयर-टू-पीयर लेंडिंग
- व्यापारी छूट दर
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये सात सूत्री कार्ययोजना 'इंद्रधनुष'
- बैंकिंग लोकपाल योजना
- बैंकिंग व्यवस्था
 - ◆ अनुसूचित बैंक एवं गैर-अनुसूचित बैंक
 - ◆ वाणिज्यिक बैंक
 - ◆ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
 - ◆ सहकारी बैंक
 - ◆ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - ◆ विकास बैंक
 - ◆ लघु वित्त बैंक
 - ◆ भुगतान बैंक
- इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक
 - ◆ बैड बैंक
 - ◆ घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक
 - ◆ भारतीय महिला बैंक
 - ◆ लीड बैंक योजना
- वित्तीय समावेशन
 - ◆ प्रधानमंत्री जन-धन योजना
 - ◆ वित्तीय समावेशन का नया मंत्र 'जनधन-आधार-मोबाइल' (JAM)
 - ◆ वित्तीय समावेशन सूचकांक

- ऑटोमेटेड टेलर मशीन
- कॉल मनी
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- विमुद्रीकरण
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

15. भारत में बीमा और पूंजी बाज़ार 248-264

भारत में बीमा

- सामान्य परिचय
 - ◆ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
 - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्य एवं कर्तव्य
 - ◆ भारत में बीमा बाज़ार
 - बीमा के प्रकार
 - ❖ जीवन बीमा
 - ❖ स्वास्थ्य बीमा
 - ❖ मोटर बीमा
 - ❖ परिसंपत्ति बीमा
 - ❖ यात्रा बीमा
 - ◆ भारतीय जीवन बीमा निगम
 - ◆ भारतीय साधारण बीमा निगम
 - ◆ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
 - ◆ पुनर्बीमा
 - ◆ बीमा सुधार
 - ◆ बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015
 - ◆ बीमा लोकपाल
 - ◆ नई बीमा योजनाएँ
 - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
 - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
 - आम आदमी बीमा योजना
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

भारत में पूंजी बाज़ार

- सामान्य परिचय
 - ◆ प्रतिभूति बाज़ार
 - प्राथमिक बाज़ार
 - द्वितीयक बाज़ार
 - ◆ प्रतिभूति
 - अंश या शेयर प्रतिभूति
 - ❖ वरीयता या अधिमान अंश
 - ❖ समता अंश
 - ❖ बोनस शेयर
 - ❖ राइट इशू

- ऋण प्रतिभूति
 - ❖ विनिमय पत्र या हुंडी
 - ❖ बॉण्ड
- ◆ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- ◆ भारत में शेयर बाज़ार
 - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
 - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
 - ओवर-द-काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया
 - बैंकेक्स
 - ◆ स्पॉट एक्सचेंज
 - ◆ डेरिवेटिव्स
 - फॉरवर्ड अनुबंध
 - फ्यूचर अनुबंध
 - ◆ वायदा बाज़ार
 - वस्तु व्यापार एवं कमोडिटी एक्सचेंज
 - ❖ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
 - ❖ नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज
 - ❖ इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज
 - ❖ नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
 - ◆ पूंजी बाज़ार से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ
 - ◆ शेयर का निर्गमन
 - सम मूल्य पर निर्गमन
 - प्रीमियम पर निर्गमन
 - कटौती पर निर्गमन
 - ◆ कंपनी
 - सार्वजनिक कंपनी
 - निजी कंपनी
 - सरकारी कंपनी
 - लिमिटेड कंपनी
 - अनलिमिटेड कंपनी
 - ◆ साख निर्धारण
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

16. राजकोषीय नीति एवं कर संरचना 265-285

- राजकोषीय नीति
- बजट
 - ◆ बजट के प्रकार
 - एक समान मद बजट
 - निष्पादन बजट
 - आउटकम बजट
 - शून्य आधार बजटिंग
 - जेंडर बजटिंग

- भारत सरकार की निधियाँ
 - ◆ संचित निधि
 - ◆ लोक लेखा निधि
 - ◆ आकस्मिक निधि
- सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय
 - ◆ कुल सार्वजनिक आय
 - राजस्व प्राप्तियाँ
 - पूंजीगत प्राप्तियाँ
 - ◆ कुल सार्वजनिक व्यय
 - योजनागत व्यय
 - गैर-योजनागत व्यय
 - राजस्व व्यय
 - पूंजीगत व्यय
- भारत में कर संरचना
 - ◆ करारोपण की विधियाँ
 - प्रतिगामी कर प्रणाली
 - आनुपातिक कर प्रणाली
 - प्रगतिशील कर प्रणाली
 - अवक्रमिक कर प्रणाली
- कर
 - ◆ प्रत्यक्ष कर
 - व्यक्तिगत आयकर
 - निगम कर
 - संपत्ति कर
 - उपहार कर
 - पूंजी लाभ कर
 - फ्रिज लाभ कर
 - प्रतिभूति विनिमय कर
 - ◆ अप्रत्यक्ष कर
 - सीमा शुल्क
 - सेवा कर
 - उत्पाद शुल्क
 - संशोधित मूल्य वर्द्धित कर और केंद्रीय मूल्य संवर्द्धन कर
 - मूल्य वर्द्धित कर
 - केंद्रीय बिक्री कर
 - वस्तु एवं सेवा कर
 - ◆ अधिभार
 - ◆ उपकर
 - कृषि कल्याण उपकर
 - स्वच्छ भारत उपकर
 - वस्तु एवं सेवा उपकर
- कर उत्प्लावकता
 - ◆ कर अपवंचन
 - ◆ कर बचाव
 - ◆ कर विवर्तन
 - ◆ कर आश्रय/टैक्स हैवेन
 - ◆ एंटी डंपिंग ड्यूटी
 - ◆ प्रतिकारी शुल्क
 - ◆ लैफर वक्र
- घाटे की विभिन्न अवधारणाएँ/प्रकार
 - ◆ बजट घाटा
 - ◆ राजस्व घाटा
 - ◆ प्रभावी राजस्व घाटा
 - ◆ राजकोषीय घाटा
 - ◆ प्राथमिक घाटा
 - ◆ मौद्रिकृत घाटा
 - ◆ क्रियात्मक घाटा
- राजकोषीय दुश्चक्र
- राजकोषीय समेकन
 - ◆ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003
 - ◆ घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन
 - ◆ क्राउडिंग आउट इफेक्ट
 - ◆ व्यय सुधार आयोग
 - ◆ व्यय प्रबंधन आयोग
- वित्त आयोग
 - ◆ वित्त आयोग के कार्य
 - ◆ 14वाँ वित्त आयोग
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

17. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): क्यों, क्या और कैसे?

..... 286-302

- वस्तु एवं सेवा कर (GST)
 - ◆ जीएसटी का स्वरूप
 - ◆ भुगतान की प्रक्रिया
 - ◆ भारत की संघीय व्यवस्था एवं जीएसटी
 - ◆ जीएसटी का विकास क्रम
 - ◆ जीएसटी के अवयव
- 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
- जीएसटी की आवश्यकता के पीछे कारण
- जीएसटी की विशेषताएँ
- जीएसटी के लाभ

- जीएसटी परिषद्
- जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तुएँ
- जीएसटी के पूर्व एवं जीएसटी के बाद की कर व्यवस्था
 - ◆ एकल बिंदु पर कर संग्रह
 - ◆ मूल्य वर्द्धित कर (VAT)
 - ◆ एक राज्य के भीतर जीएसटी प्रणाली का संचालन
 - ◆ अंतर-राज्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी का संचालन
- जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
 - ◆ श्रेयोल्ड सीमा
 - ◆ कंपोजिशन योजना
 - ◆ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
 - ◆ जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आयात पर कर व्यवस्था
 - ◆ जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत निर्यात पर कर व्यवस्था
 - ◆ राज्यों की क्षतिपूर्ति
 - ◆ रिवर्स चार्ज
- मुनाफाखोरी-रोधी गतिविधियाँ एवं तंत्र
- उपभोक्ता कल्याण निधि
- ई-वे बिल
- वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण
- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)
 - ◆ जीएसटीएन के अंतर्गत कर अनुपालन
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

18. निवेश मॉडल 303-311

- निवेश मॉडल
- अर्थव्यवस्था की प्रकृति और निवेश मॉडल
 - ◆ समाजवादी अर्थव्यवस्था
 - ◆ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
 - ◆ मिश्रित अर्थव्यवस्था
- निवेश मॉडल के प्रकार
 - ◆ गांधीवादी मॉडल
 - ◆ हैरॉड-डोमर मॉडल
 - ◆ महालनोबिस मॉडल
 - ◆ ब्रह्मनंद-वकील मॉडल
 - ◆ सार्वजनिक निवेश मॉडल
 - ◆ निजी निवेश मॉडल
 - ◆ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (PPP - Model)
 - ◆ अमर्त्य सेन बनाम जगदीश भगवती मॉडल
 - ◆ स्वायत्त निवेश मॉडल
 - ◆ प्रेरित निवेश मॉडल

- ◆ क्षेत्र विशिष्ट निवेश मॉडल
- ◆ समूह (क्लस्टर) निवेश मॉडल
- व्यवहार्यता/अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को पुनर्जीवित करने के लिये डॉ. विजय केलकर समिति
- निवेश को आकर्षित करने के उपाय
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

19. भारत का वैदेशिक क्षेत्र 312-323

- सामान्य परिचय
 - ◆ भुगतान संतुलन खाता
 - दृश्य मदें
 - अदृश्य मदें
 - चालू खाता
 - पूंजी खाता
 - विदेशी विनिमय कोष
 - ◆ विदेशी विनिमय दर
 - विनिमय दर के प्रकार
 - ❖ नाममात्र विनिमय दर
 - ❖ नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
 - ❖ वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
 - ◆ भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली
 - स्थिर विनिमय दर प्रणाली
 - परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली
 - प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली
 - उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली
 - ◆ अवमूल्यन
 - ◆ अधिमूल्यन
 - ◆ विनिमय हास या मुद्रा मूल्य का हास
 - ◆ विनिमय प्रसार या मुद्रा की मूल्यवृद्धि
 - ◆ विदेशी मुद्रा भंडार
 - विशेष आहरण अधिकार (SDR)
 - ◆ मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता
 - पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता
 - ❖ पूंजी खाते को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने से मिलने वाले संभावित लाभ
 - ❖ भारत में अभी तक पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया?
 - ◆ फेरा और फेमा
 - ◆ विदेशी ऋण

- अल्पावधि ऋण तथा दीर्घावधि ऋण
- विदेशी ऋण एवं विदेशी सहायता
- रुपया ऋण
- द्विपक्षीय ऋण एवं बहुपक्षीय ऋण
- ऋण जाल
- ◆ विदेशी निवेश
 - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
 - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
- ◆ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- ◆ क्षेत्रीय व्यापार समझौते
 - अधिमान्य व्यापार समझौता
 - मुक्त व्यापार समझौता
 - सीमा शुल्क संघ
 - साझा बाजार
 - आर्थिक संघ
- ◆ जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (गार)
- ◆ विदेश व्यापार नीति, 2015–2020
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

20. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौते 324-343

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- विश्व बैंक समूह
- विश्व व्यापार संगठन
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन-अंकटाड
- विश्व आर्थिक मंच
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
- वित्तीय कार्यवाही कार्यबल
- खाद्य एवं कृषि संगठन
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
- एशियाई विकास बैंक
- अफ्रीकी विकास बैंक समूह
- यूरोपीय संघ
- ब्रिक्स
- न्यू डेवलपमेंट बैंक
- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
- आसियान
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन-सार्क

- बिमस्टेक (BIMSTEC)
- हिंद महासागर तटीय संघ (IORA)
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन-ओपेक
- एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग-एपेक
- शंघाई सहयोग संगठन
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)
- परा-प्रशांत भागीदारी (TPP)
- इब्सा (IBSA)
- बेसिक (BASIC)
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स
- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

21. जनसांख्यिकीय सिद्धांत और जनगणना 344-352

- सामान्य परिचय
- जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत
 - ◆ माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत
 - ◆ जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत
 - ◆ जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत
- जनसंख्या से संबंधित पारिभाषिक शब्द

◆ अशोधित जन्म दर	◆ साक्षरता दर
◆ शोधित जन्म दर	◆ कुपोषण की दर
◆ अशोधित मृत्यु दर	◆ मातृ मृत्यु दर
◆ जनसंख्या वृद्धि दर	◆ प्रजनन काल
◆ लिंगानुपात	◆ संपूर्ण प्रजनन दर
◆ शिशु मृत्यु दर	◆ जनसंख्या घनत्व
◆ बाल मृत्यु दर	◆ युगल संरक्षण दर
◆ आश्रितता/निर्भरता अनुपात	
◆ कार्यशील जनसंख्या एवं जनांकिकीय लाभांश	
- बेकर प्रजनन वक्र
- भारत की जनसंख्या नीति
 - ◆ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000
- जनसंख्या पिरामिड
- भारत में जनगणना
- सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011
- भारत की जनगणना-2011 के प्रमुख आँकड़े
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था : एक नज़र में (Economics and Economy : At a Glance)

अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे व्यक्ति से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यक्ति स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके।

एक व्यक्ति के स्तर (व्यक्ति स्तर) पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर (समष्टि स्तर) पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, इसलिये संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे- व्यक्ति स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिये लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यक्ति एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है।

अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात् “अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।”

सामान्य शब्दों में, “अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।” प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘द वेल्थ ऑफ नेशंस’ (The Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को ‘धन का विज्ञान’ कहा है।

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण (Classification of Economics)

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है-

1. व्यक्ति अर्थशास्त्र (Microeconomics)

व्यक्ति अर्थशास्त्र को ‘सूक्ष्म अर्थशास्त्र’ भी कहा जाता है। व्यक्ति अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे पहलुओं अर्थात् व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाज़ार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, यथा- उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यक्ति अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं, जैसे- मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है।

व्यक्ति अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक (Vital Components of Microeconomics)

- **उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत:** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है, ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके।
- **उत्पादक व्यवहार सिद्धांत:** इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके।
- **कीमत सिद्धांत:** ‘कीमत सिद्धांत’ व्यक्ति अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है।

2. समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)

समष्टि अर्थशास्त्र को ‘वृहद् अर्थशास्त्र’ भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात् संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे- राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र

हेतु रणनीतियों का निर्माण किया जाता है। भारत में पहले योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाएँ एवं वर्तमान नीति आयोग द्वारा बनाया गया 15 वर्षीय विज्ञान, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा भारतीय अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध स्वरूप के अच्छे उदाहरण हैं।

गैर-योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (Unplanned Economy)

गैर-योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्थाओं से है, जो आयोजना की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः एक निश्चित अवधि में क्या-क्या आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं, यह पूर्व निर्धारित नहीं होता। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास से संबंधित रणनीतियों का अभाव पाया जाता है।

निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण (Classification of Economies on the Basis of Dependency)

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था (Self-dependent Economy)

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये अर्थव्यवस्थाएँ अपने नागरिकों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती हैं।

नोट: आमतौर पर अर्थजगत में अब यह माना जाता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं कह सकता है।

आश्रित अर्थव्यवस्था (Dependent Economy)

वे अर्थव्यवस्थाएँ जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर होती हैं, उन्हें 'आश्रित अर्थव्यवस्था' कहा जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं के पास पूंजी एवं संसाधनों का सामान्यतया अभाव पाया जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतया उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी का भी अभाव पाया जाता है।

परस्पर-निर्भर अर्थव्यवस्था (Mutually Dependent Economy)

वे अर्थव्यवस्थाएँ जो कुछ मामलों एवं क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हों और कुछ मामलों एवं क्षेत्रों में अन्य देशों पर भी निर्भर हों, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को 'परस्पर-निर्भर अर्थव्यवस्था' कहा जाता है। जैसे- कुछ देशों में संसाधन भरपूर हैं, लेकिन उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव होता है। ऐसे में वे देश अपने संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने के लिये टेक्नोलॉजी हेतु दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार किसी देश में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र अत्यधिक विकसित होता है, जबकि वह देश कृषि उत्पादों के लिये अन्य देशों पर निर्भर होता है।

अभ्यास प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है?
 - पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
 - समाजवादी अर्थव्यवस्था
 - मिश्रित अर्थव्यवस्था
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPSC (Pre), 2015
- भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है-
 - वृहद् एवं कुटीर उद्योगों का सह-अस्तित्व
 - आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग
 - सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPSC (Mains), 2013
- भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है-
 - गांधीवादी व्यवस्था पर
 - समाजवादी व्यवस्था पर
 - पूंजीवादी व्यवस्था पर
 - मिश्रित अर्थव्यवस्था पर

UPPSC (Pre), 2007
- X देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यदि-
 - विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है।
 - X में जनसंख्या वृद्धि होती है।
 - X में पूंजी निर्माण होता है।
 - विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है।

IAS, 2013
- केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है?
 - उद्योगपतियों का
 - निजी फर्मों का
 - सरकार का
 - उपभोक्ताओं का
- देश की वृद्धि में निम्न में से कौन-सा अनाधिक तत्त्व है?
 - सामाजिक व्यवहार
 - प्राकृतिक संसाधन
 - श्रम/शक्ति संसाधन
 - पूंजी संसाधन

RAS/RTS, 1996
- भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है?
 - व्यष्टि स्तर पर
 - समष्टि स्तर पर
 - व्यष्टि एवं समष्टि दोनों
 - इनमें से कोई नहीं
- निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है?
 - बाज़ार अर्थव्यवस्था में
 - केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में
 - मिश्रित अर्थव्यवस्था में
 - उपर्युक्त सभी
- मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है-
 - जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्त्व दिया जाता है।
 - जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो।
 - जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो।
 - जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों को समान भागीदारी हो।

UPUDA/LDA (Pre), 1999

सामान्य परिचय (General Introduction)

राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिये महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ (Various Concepts Related to National Income)

बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product at Market Price—GDP_{MP})

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर-निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाज़ार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्द्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

- भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- यहाँ देश की घरेलू अर्थात् आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतगत जलक्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतगत विदेशी अंतःक्षेत्र, जैसे-दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं।
- केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये, एक किसान द्वारा ₹1000 का कपास उत्पादित किया गया। इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसका धागा बनाया जाता है एवं इसके धागे को ₹2000 में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके इसका कपड़ा बनाकर ₹3000 में बेच दिया जाता है, एवं अंत में एक रेडीमेट शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बनाकर ₹4000 में बेच देती है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल ₹4000 को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य एवं दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है।

बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product at Market Price—GNP_{MP})

बाज़ार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात् देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाज़ार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्द्धन का योग है या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।

GDP_{MP} तथा GNP_{MP} में अंतर

एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर-निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP}) कहते हैं।

$GNP_{MP} = GDP_{MP} +$ विदेशों से प्राप्त निवल आय
विदेशों से प्राप्त निवल आय = देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय – गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product at Market Price—NDP_{MP})

जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है जिसे मूल्य हास कहा जाता है। जब हम बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य हास को घटा देते हैं, तो बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है।

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) – मूल्य हास

बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product at Market Price—NNP_{MP})

- बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर किये गए वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है एवं विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। इस अंतिम उत्पाद में मूल्य हास की राशि को निकाल दिया जाता है।

● बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP}) – मूल्य हास

● बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{MP}) + विदेशों से प्राप्त निवल आय

● विदेशों से प्राप्त निवल आय = भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय – विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय

सामान्य परिचय (General Introduction)

किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन की सफलता के मूल्यांकन की सर्वाधिक मौलिक माप आर्थिक संवृद्धि है। सभी राष्ट्र राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संवृद्धि के संकेतकों को मापने हेतु विभिन्न आँकड़ों का विश्लेषण करते हैं। संवृद्धि और उत्पादकता से आगे बढ़कर कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने में प्रति व्यक्ति आय, लोगों का जीवन स्तर, मानवीय विकास, आय के वितरण की माप, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएँ, लोगों में खुशहाली का स्तर आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा देश को अन्य सामाजिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जैसे- न्याय की सुनिश्चितता, सांस्कृतिक विकास, पर्यावरण की धारणीयता आदि।

किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएँ दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं- आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास।

आर्थिक संवृद्धि: समग्र चरों, जैसे- राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को 'आर्थिक संवृद्धि' कहते हैं।

आर्थिक विकास: आर्थिक संवृद्धि से संबद्ध परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों व मानवीय सरोकारों जैसे कारकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे हम 'आर्थिक विकास' कहते हैं।

आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। जहाँ आर्थिक संवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक संवृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा, जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक संवृद्धि चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो पर यह अपने में साध्य नहीं हो सकती। आर्थिक विकास के लिये आर्थिक संवृद्धि आवश्यक है तथा यह आर्थिक विकास की प्राप्ति में मददगार सिद्ध होगी, परंतु आर्थिक संवृद्धि की तीव्र दर आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि आर्थिक विकास भी ऊँचा है। आर्थिक

विकास का प्रमुख लक्ष्य- कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, बेरोज़गारी, विषमता आदि को प्रगतिशील रूप से कम करना तथा अंतिम रूप से समाप्त करना है। आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है, जो अपने में आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक क्षेत्र विकास तथा समावेशी विकास को सम्मिलित किये हुए है।

आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth)

आर्थिक संवृद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है। आर्थिक संवृद्धि की माप राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है, न कि केवल मौद्रिक आय अथवा सांकेतिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में। दूसरे शब्दों में, वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में होनी चाहिये, केवल विद्यमान वस्तु की बाज़ार कीमत में नहीं।

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक संवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगातार दीर्घकाल तक बढ़ता रहता है। इस संदर्भ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अंतर का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिये सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की बात करना अधिक तर्कसंगत है। राष्ट्रीय आय में अल्पकालीन, मौसमी या अस्थायी वृद्धि को आर्थिक संवृद्धि नहीं माना जाना चाहिये।

लेकिन आर्थिक संवृद्धि को उपर्युक्त रूप से परिभाषित करना सही नहीं है, इसका कारण यह है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट होगी। हम इसे आर्थिक संवृद्धि नहीं कहेंगे। आर्थिक संवृद्धि की अवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय (उत्पाद) में भी वृद्धि होनी चाहिये।

आर्थिक विकास (Economic Development)

आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं, जो कि भौतिक उन्नति में योगदान देते हैं। इसमें संसाधनों की आपूर्ति, पूंजी निर्माण की दर, जनसंख्या का आकार और बनावट, प्रौद्योगिकी, कौशल तथा कार्य कुशलता, जीवन स्तर में सुधार,

भूमि सुधार (Land Reforms)

‘भूमि सुधार’ से अभिप्राय है- भू-स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना अर्थात् भू-धारिता (Land-Holdings) को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भूमि एक मूलभूत प्राकृतिक एवं सीमित संसाधन है। अंग्रेजी शासन से पूर्व अर्थात् मुगल काल में भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसी के पास नहीं था। भूमि से संबंध रखने वाले सभी वर्गों का भूमि पर अधिकार था। कृषक को पट्टेदारी का संरक्षण उस समय तक ही था, जब तक वह स्वामी को परस्पर निश्चित किया हुआ भाग (अनाज का हिस्सा) देता रहा। औपनिवेशिक शासन में विभिन्न ब्रिटिश नीतियाँ उनके आर्थिक हितों की पूर्ति के लिये बनाई गई थीं एवं ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना था, इसलिये उन्होंने कई भू-राजस्व प्रणालियाँ शुरू कीं, जैसे- ज़मींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था। इन सभी का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। इस प्रकार प्रचलित नीतियों एवं व्यवस्थाओं के कारण भू-स्वामित्व का असंतुलित वितरण देखने को मिला। इस असंतुलन को दूर करने के लिये एवं शोषणकारी आर्थिक संबंधों को तोड़ने के लिये भूमि-सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

भूमि-सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त भूमि-सुधार के अंतर्गत रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने, आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को बढ़ावा देने एवं भूमि का प्रभावी एवं कुशलतम उपयोग करने जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास किये गए। भूमि सुधार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन के कारकों में आवश्यकतानुसार सुधार करना है, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता अधिकतम हो सके। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता मुख्यतः दो तत्त्वों पर निर्भर करती है-

1. संस्थागत सुधार (Institutional Reforms)

इसके अंतर्गत ज़मींदारी उन्मूलन के ज़रिये मध्यस्थ वर्ग का अंत करना, भू-स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनर्वितरण, खेतों के आकार में सुधार करना एवं हदबंदी के ज़रिये एक सीमा से अधिक भूमि रखने की स्थिति में अधिशेष भूमि का भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरण करना शामिल है। साथ ही चकबंदी के ज़रिये भूमि के बिखरे हुए छोटे-छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना, सहकारी कृषि एवं सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, खेतों के उप-विभाजन एवं विखंडन को रोकना, भू-धारण अधिकारों की सुरक्षा करना, लगान में कमी, काश्तकारों को भू-स्वामित्व प्रदान करना आदि भी संस्थागत सुधार के महत्वपूर्ण भाग हैं।

2. तकनीकी सुधार (Technical Reforms)

तकनीकी सुधारों में उन्नत किस्म के बीज, जैविक खाद व कीटनाशक, खरपतवारनाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, ऊर्जा, ऋण/वित्त व्यवस्था, भंडारण सुविधाएँ, विपणन, उन्नत कृषि विधियों व तकनीकों को शामिल किया जाता है। लेकिन ये तकनीकी सुधार संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते, इसलिये भारत में भूमि सुधारों के पहले चरण में संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई और फिर दूसरे चरण में तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं और संवृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

भूमि सुधार	
संस्थागत सुधार	तकनीकी सुधार
<ul style="list-style-type: none"> ● ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन ● मध्यस्थों का अंत ● भू-स्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण ● खेतों के आकार में सुधार अर्थात् चकबंदी, हदबंदी ● सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा ● खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना ● लगान में कमी ● भू-धारण अधिकारों की सुरक्षा करना 	<ul style="list-style-type: none"> ● कृषि का आधुनिकीकरण ● उन्नत किस्म के बीज ● उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक ● बेहतर सिंचाई व्यवस्था ● उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग ● अच्छी भंडारण व्यवस्था ● अच्छी विपणन व्यवस्था

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में भू-राजस्व प्रणालियाँ (Land Revenue System in Pre-Independent India)

ज़मींदारी/स्थायी/इस्तमरारी व्यवस्था (Zamindari System)

- 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू-राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी ज़मींदार को ही माना गया। अतः इसे ज़मींदारी/मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं।
- 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया क्योंकि उसका आकलन था कि भू-राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिये 10 वर्ष का समय अल्प है।
- लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग ज़मींदारों हेतु नियत किया गया।
- इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ज़मींदार किसानों से कितना लगान वसूल करे जिससे अधिक

सामान्य परिचय (General Introduction)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किये जाते थे। उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था, लेकिन इसके पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगभग 17 प्रतिशत है।

भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कृषि का महत्त्व इस बात में परिलक्षित होता है कि दुनिया के मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्र और 4.2 प्रतिशत पानी से हम विश्व की लगभग 17.5 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करने में कामयाब हैं। आज भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है एवं यह निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला अकेला व्यवसाय है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चैन, सप्लाय चैन, डेयरी, पोल्ट्री, माँस, मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्त्व (Importance of Agriculture in Indian Economy)

अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950-51 में यह लगभग 51 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में यह 14.2 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई शृंखला (आधार वर्ष 2011-12) के आधार पर 2016-17 में कृषि एवं संबन्धित क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में योगदान

17.4 प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य संवर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 275.11 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 284.83 मिलियन टन हो गया है। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों, चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान

कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।

गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आधी से अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि आज भी निम्न आय वर्ग एवं निर्धन व्यक्तियों का जीवन आधार है। कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा का मुख्य अस्त्र है।

पूँजी निर्माण में सहयोग

भारत में पूँजी निर्माण प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। कृषि उत्पादों के उत्पादन के रूप में तथा गैर-कृषि उत्पादों की मांग के रूप में भारत में कृषि का केंद्रीय स्थान है। गैर-कृषि उत्पादों की मांग के महत्त्वपूर्ण स्रोत होने के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करता है। कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मंदी से औद्योगिक क्षेत्र में भी (कृषि क्षेत्र में निम्न मांग के रूप में) मंदी उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

सामान्य परिचय (General Introduction)

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। इसलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिये औद्योगीकरण की आवश्यकता को समझा। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है, क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहाँ एक ओर नए रोजगार एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है।

भारत की सतत् आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिये अवसंरचना की सुगठित सुविधाओं की सहायता से उच्च दर पर औद्योगिक संवृद्धि का महत्त्व बहुत ही निर्णायक है। निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है और वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य वृद्धि (GVA) में इसका 29.1 प्रतिशत (अनंतिम अनुमान) का योगदान रहा। मजबूत और सुदृढ़ औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र घरेलू उत्पादन, निर्यात और रोजगार के संवर्द्धन में सहायता करता है और ये सभी अर्थव्यवस्था में उच्च विकास के लिये उत्प्रेरक हो सकते हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office-CSO) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिये सकल मूल्य वृद्धि (GVA) की समग्र वृद्धि 6.8 प्रतिशत आँकी गई है, जबकि औद्योगिक निष्पादन वर्ष 2015-16 के 9.8 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2017-18 में लगभग 5.5 प्रतिशत (अनंतिम अनुमान) हो गया है।

2011-12 की स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	जीवीए* में हिस्सा	2016-17	2017-18 (PE)
खनन और उत्खनन	2.5	13.0	2.9
विनिर्माण	16.7	7.9	5.7
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ	2.6	9.2	7.2
निर्माण	7.4	1.3	5.7
उद्योग	29.1	6.8	5.5

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
नोट: *जीवीए में हिस्सा जोकि 2017-18 में है (स्थिर मूल्यों पर) अनंतिम अनुमान

औद्योगिक विकास का महत्त्व (Importance of Industrial Growth)

- उद्योग आर्थिक संवृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिये आवश्यक होता है।
- उद्योग रोजगार के नए-नए अवसरों का सृजन करने में सहायक होते हैं।
- उद्योग अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि करके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करते हैं। कृषि क्रियाओं तथा कृषि उत्पादों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि अधिक होता है।
- उद्योग विकास प्रक्रिया में गत्यात्मकता प्रदान करते हैं। औद्योगीकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है।
- उद्योग आधारिक संरचना विकास को सुविधाजनक बनाता है। औद्योगिक विकास एवं आधारिक संरचना का विकास आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- उद्योग कृषि के यंत्रीकृत साधन (मशीनें- ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर) उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। कृषि के यंत्रीकरण के कारण कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।
- औद्योगिक क्षेत्र कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर मूल्य वृद्धि करता है। यह कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देता है। औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के विकास के लिये एक आधार निर्मित करता है। यह व्यापार, यातायात एवं संचार, बैंकिंग, बीमा एवं अनेक सेवाओं के विकास में महत्त्व रखता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के पीछे तर्क


- औद्योगिक विकास के लिये अत्यधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी। निजी क्षेत्र अर्थात् उद्यमियों के पास पूंजी का अभाव था।
- बाजार के सीमित आकार के कारण निजी उद्यमियों में निवेश-प्रेरणा का अभाव था।
- नियोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि को प्राप्त करना है, जिसे केवल सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था।
- औद्योगिक क्षेत्र नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक उत्पाद निर्मित करता है एवं लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक होता है।
- औद्योगिक क्षेत्र निर्यात के लिये उत्पाद उपलब्ध कराकर निर्यात संवर्द्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सामान्य परिचय (General Introduction)

सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है, जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका निर्यातों में भी महत्वपूर्ण योगदान है तथा जो बड़े पैमाने पर रोज़गार भी प्रदान करता है। भारत के सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे- व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, भंडारण, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ तथा निर्माण कार्य से संबद्ध सेवाएँ इत्यादि। भारत के सकल मूल्य वृद्धि (Gross Value Added-GVA) में 55.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 72.5 प्रतिशत रहा, जोकि 2016-17 में 62 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत होने का अनुमान है, जोकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में हुई 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में अधिक है। सेवा क्षेत्र को 'तृतीयक क्षेत्र' भी कहा जाता है।

विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो देश विकास पथ पर अग्रसर होते हैं। उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। भारत के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 52 प्रतिशत था, जो 2016-17 में घटकर लगभग 17 प्रतिशत हो गया है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 30 प्रतिशत था, जो 2016-17 में बढ़कर लगभग 54 प्रतिशत हो चुका है।

सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिये अनेक योजनाएँ शुरू की हैं। सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन उपायों के साथ-साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण ने इस क्षेत्र के लिये विकास की संभावनाओं को उज्वल बनाया है।



सेवा क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य (Global Scenario in Service Sector)

औद्योगीकरण के पश्चात् कृषि आधारित अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ तीव्र औद्योगिक विकास की ओर गतिशील हुईं, जिससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास आर्थिक शक्ति पहुँची और इस कारण वृद्धि के अगले चरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र को विकास करने का अवसर मिला। इसी क्रम में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ उद्योग क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं। वर्तमान में सेवा क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र है।

- संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (UN National Accounts Statistics) के आँकड़ों के अनुसार, विश्व के 15 बड़े देशों में समग्र जीडीपी के अनुसार भारत का स्थान 2006 के 14वें से सुधरकर 2016 में 7वें पर आ गया।
- वर्ष 2016 में, सेवा जीवीए वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) भारत में 7.8 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी, इसके बाद चीन की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत थी।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) के अनुमानों के अनुसार 2016 में शीर्ष 15 देशों में, भारत और चीन को छोड़कर अधिकांश में कुल रोज़गार के दो-तिहाई से भी अधिक का योगदान सेवा क्षेत्र का था, भारत का हिस्सा 30.6 प्रतिशत पर सबसे कम था।
- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2016 में विश्व रोज़गार में लगभग आधा हिस्सा (50.9 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र से संबंधित था।
- सेवा निर्यात वृद्धि, विश्व और भारत दोनों के लिये, 2009 से 6 वर्षों के अंतराल के बाद 2015 में गिरकर ऋणात्मक हो गई थी, 2016 में यह धनात्मक स्थिति में आ गई। विश्व व्यापार संगठन के अद्यतन आँकड़ों के अनुसार, 2017 की पहली छमाही के लिये विश्व के संदर्भ में सेवा निर्यात वृद्धि 4.3 प्रतिशत (पहली और दूसरी तिमाही का औसत) और भारत के लिये 9.9 प्रतिशत पर थी।

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

आर्थिक नियोजन का अर्थ है- स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को 'समवर्ती सूची' (सातवीं अनुसूची) का विषय बनाया गया है।

नियोजन के उद्देश्य (Objectives of Planning)

- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना;
- संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना;
- निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना;
- आधारभूत ढाँचे का विकास करना;
- कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना;
- सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- राजनीतिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना;
- आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण;
- निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना;
- तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ समावेशी विकास पर बल।

निर्देशात्मक नियोजन (Indicative Planning)

निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है।

लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर (On the Basis of Strategies for Achieving Targets)


संरचनात्मक नियोजन (Structural Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह 'संरचनात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

प्रकार्यात्मक नियोजन (Functional Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधन, स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह 'प्रकार्यात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई।

नियोजन के प्रकार (Types of Planning)



राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर (On the Basis of State Intervention)

आदेशात्मक नियोजन (Imperative Planning)

आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है, जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिये इसे 'केंद्रीकृत नियोजन' भी कहा जाता है।

योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर (Based on the Process of Planning)

केंद्रीकृत नियोजन (Centralised Planning)

केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसे 'ऊपर से नीचे की ओर नियोजन' भी कहते हैं।

विकेंद्रीकृत नियोजन (Decentralised Planning)

विकेंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक,

नीति आयोग (NITI Aayog)

1 जनवरी, 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात् नीति आयोग' (National Institution for Transforming India-NITI Aayog) का गठन किया गया। नीति आयोग, सरकार के थिंक-टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक-टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है एवं भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुवीक्षण करता है। यह संस्था राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है।



नीति आयोग के उद्देश्य (Objectives of NITI Aayog)

- राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना;

- सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना;
- ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचाना;
- आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना;
- अंतर-क्षेत्रीय एवं अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना;
- रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढाँचा तैयार करना।

नीति आयोग की संरचना (Composition of NITI Aayog)

- नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष 'भारत का प्रधानमंत्री' होता है।
- गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो, को देखने के लिये क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिये बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशित (Nominee) करेंगे।
- संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जाएंगे।
- सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप

- अध्यक्ष- प्रधानमंत्री
- गवर्निंग काउंसिल- राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल
- उपाध्यक्ष- डॉ. राजीव कुमार (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त)
- पूर्णकालिक सदस्य- श्री बिबेक देबरॉय, डॉ. वी.के. सारस्वत, प्रो. रमेश चंद, डॉ. वी.के. पॉल
- पदेन सदस्य- श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, श्री पीयूष गोयल, श्री राधामोहन सिंह
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): अमिताभ कांत

सामान्य परिचय (General Introduction)

गरीबी/निर्धनता से अभिप्राय है- जीवन के लिये न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना/निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक संवृद्धि अर्थहीन हो जाती है।

गरीबी के प्रकार (Types of Poverty)

सापेक्षिक गरीबी (Relative Poverty)

सापेक्षिक गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्षिक गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। सापेक्षिक गरीबी की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में भी की जा सकती है।

निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty)

निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे- भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएँ, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिये गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा है, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है, उन्हें 'निर्धन' माना जाता है। गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को हम 'हेड काउंट विधि' (Head Count Method) कहते हैं। इस विधि में कुल जनसंख्या में शामिल उन व्यक्तियों को गिना जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारत में गरीबी मापन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है।

निर्धनता का श्रेणीकरण

- **श्रेणी 1 :** चिरकालिक निर्धन: वे व्यक्ति या परिवार जो काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उदाहरण- भूमिरहित श्रमिक एवं अनियमित मजदूर।

- **श्रेणी 2 :** अल्पकालिक निर्धन: वे व्यक्ति/परिवार जो निरंतर निर्धन और गैर-निर्धन वर्गों के बीच आते-जाते रहते हैं। ये कभी निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, लेकिन रोजगार मिलने पर ये लोग निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण- मौसमी मजदूर, और अनियमित निर्धन।
- **श्रेणी 3 :** कभी निर्धन नहीं: वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते, उन्हें गैर-निर्धन कहा जाता है। इनके पास आय के निश्चित स्रोत एवं संपत्ति होती है।

ग्रामीण निर्धन (Rural Poor)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अभाव के कारण लोगों के पास आजीविका एवं आय अर्जन के स्रोत सीमित होते हैं। कृषि क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। सामूहिक परिवार प्रणाली के कारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति या स्रोत के ऊपर आश्रितों की संख्या अधिक होती है। ग्रामीण निर्धनों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे भू-स्वामियों, काशतकारों एवं दैनिक मजदूरों आदि को सम्मिलित किया जाता है।

शहरी निर्धन (Urban Poor)

ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार एवं निर्धन व्यक्तियों का प्रवासन शहरी क्षेत्रों में होता है। किंतु शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शहरी निर्धनों में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करने वाले लोगों, कारखानों के अनियमित श्रमिक और स्वनियोजित फेरी वालों को शामिल किया जाता है। शहरी निर्धन मुख्यतया उन ग्रामीण निर्धनों का फैलाव है, जो नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं।

गरीबी/निर्धनता के कारण (Reasons of Poverty)

- निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। अधिक जनसंख्या, निर्भरता भार को बढ़ा देती है, जिससे समय के साथ-साथ निर्धनता और अधिक हो जाती है।
- भारत की कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। इस कारण भी यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम रही है।
- भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक संवृद्धि की दर एवं प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर बहुत कम रही है। यह भी भारत में निर्धनता का एक मुख्य कारण रहा है।
- भारत में चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की समस्या पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित

सामान्य परिचय (General Introduction)

बेरोज़गारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। देश के लिये बेरोज़गारी मानव संसाधन की हानि है। रोज़गार में आनुपातिक वृद्धि के बिना होने वाली आर्थिक संवृद्धि सामाजिक न्याय रहित तथा विकास से वंचित संवृद्धि होती है और इस कारण यह निरर्थक होती है।

एक व्यक्ति को बेरोज़गार तब माना जाता है, जब वह प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिये तैयार तथा इच्छुक है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता तब ऐसे व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' तथा ऐसी समस्या को 'बेरोज़गारी की समस्या' कहा जाता है। सामान्य रूप से 15-59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात् कार्यशील माना जाता है। अतः अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं हैं तो इन्हें बेरोज़गार माना जाता है।

भारत में बेरोज़गारी से संबंधित आँकड़े 'राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय' (National Sample Survey Office-NSSO) द्वारा जारी किये जाते हैं। भारत में बेरोज़गारी के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। देश के कुछ क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर अधिक, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम उपलब्ध हैं, इससे बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय श्रमिक प्रवासन होता है। भारत में अधिकांश असंगठित क्षेत्र द्वारा अनौपचारिक रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोज़गार के संबंध में आँकड़ों को एकत्र करने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया। यह कार्यबल रोज़गार तथा बेरोज़गारी से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण करने, आँकड़ों का मूल्यांकन करने, हालिया वर्षों के दौरान सृजित रोज़गार के अवसरों का अनुमान लगाने एवं भविष्य में रोज़गार से संबंधित अनुमानों को सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत करने से संबंधित कार्य करेगा। भारत में रोज़गार के अवसरों के संबंध में संरचना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें अनौपचारिक, असंगठित और मौसमी आधार पर काम करने वाले श्रमिकों की प्रधानता है। ऐसे में इन श्रमिकों को रोज़गार के अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त होते हैं एवं इन श्रमिकों में कौशल का अभाव होता है। इसके साथ ही श्रम बाज़ार में कठोर श्रम कानूनों का प्रभाव रहता है और सामान्यतया श्रमिकों से संविदा के आधार पर काम कराया जाता है। भारत में बढ़ती बेरोज़गारी की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाओं, जैसे- मनरेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम इत्यादि को प्रारंभ किया गया है, ताकि लोगों को अधिक-से-अधिक रोज़गार मिले।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक रिपोर्ट 'विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण, प्रवृत्ति-2018' (World Employment and Social Outlook, Trends-2018) के अनुसार वर्ष 2017-2019 की अवधि में भारत में बेरोज़गारी की दर 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में लगभग 18.6 मिलियन एवं वर्ष 2019 में लगभग 18.9 मिलियन व्यक्ति बेरोज़गार होने की संभावना बताई गई है।

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी की रिपोर्ट (Report of Centre for Monitoring Indian Economy)

जनवरी 2019 में सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी द्वारा बेरोज़गारी से संबंधित जारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में लगभग 11 मिलियन लोग बेरोज़गार हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2018 में भारत की बेरोज़गारी दर 7.4 प्रतिशत थी, जो कि पिछले 15 महीने में सबसे अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में रोज़गार में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 407.9 मिलियन थी, जो कि वर्ष 2018 में कम होकर 397 मिलियन हो गई है।

इस प्रकार भारत में बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दिसंबर 2018 को समाप्त हुए वर्ष में इसमें 11 मिलियन की पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 के दौरान, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हुए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी अधिक बढ़ी है। वर्ष 2018 के दौरान ग्रामीण भारत में लगभग 9.1 मिलियन नौकरी-पेशा वाले लोग बेरोज़गार हुए हैं, जबकि शहरी भारत में यह संख्या लगभग 1.8 मिलियन थी। कुल नौकरी खोने वालों में लगभग 84 प्रतिशत लोग ग्रामीण भारत से हैं। इन बेरोज़गारों में मुख्यतया अशिक्षित, दिहाड़ी मज़दूर, खेतहर मज़दूर और छोटे व्यापारी सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018 के दौरान 11 मिलियन नौकरी खोने वालों में लगभग 8.8 मिलियन महिलाएँ एवं लगभग 2.2 मिलियन पुरुष हैं। 8.8 मिलियन महिलाओं में 2.3 मिलियन शहरी क्षेत्रों से एवं 6.5 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों को नौकरी नहीं खोनी पड़ी है, बल्कि इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में लगभग आधा मिलियन पुरुषों को नौकरियाँ/रोज़गार प्राप्त हुआ है।

सामान्य परिचय (General Introduction)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किये गए सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals–SDGs) में सबसे महत्वपूर्ण विश्व के सभी देशों में भूख की समस्या को समाप्त करना, सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं पोषण के स्तर में सुधार करना आदि शामिल हैं। इन सबके द्वारा विश्व से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान करना है।

खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि समग्रता में खाद्यान्नों अर्थात् भोजन की उपलब्धता हो एवं इसके साथ-साथ व्यक्तियों व परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो, ताकि वे आवश्यकतानुसार खाद्यान्न खरीद सकें। जहाँ तक पर्याप्त उपलब्धता का संबंध है, इसके दो पहलू हैं:

1. **मात्रात्मक पहलू:** अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धता इतनी हो कि मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके।
2. **गुणात्मक पहलू:** जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization–FAO) द्वारा खाद्य सुरक्षा की व्यापक व्याख्या की गई है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के लिये मूलतः निम्न तत्त्वों का होना आवश्यक है—

- **उपलब्धता:** खाद्यान्न हर समय और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- **किफायती:** खाद्यान्न किफायती होने चाहिये एवं लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिये आर्थिक पहुँच होनी चाहिये अर्थात् नागरिकों के पास खाद्यान्नों की आवश्यक क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity–PPP) होनी चाहिये।
- **समावेशन:** खाद्यान्न सुरक्षित और पोषक होने चाहिये ताकि वे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो सकें।
- **स्थिरता:** खाद्यान्न प्रणाली उचित रूप से स्थिर होनी चाहिये। खाद्यान्न प्रणाली में अधिक अस्थिरता का न केवल गरीबों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अपितु यह राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली की स्थिरता को भी जोखिम में डाल देता है।

खाद्य सुरक्षा की परिभाषा (Definition of Food Security)

“सभी व्यक्तियों के लिये हर समय सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिये पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि ही खाद्य सुरक्षा होती है।”

(विश्व विकास रिपोर्ट, 1986)

“सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिये आवश्यक बुनियादी भोजन के लिये भौतिक एवं आर्थिक, दोनों रूपों में खाद्यान्नों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है।” (खाद्य और कृषि संगठन, 1983)

समस्त जनसंख्या के स्वस्थ और क्रियाशील जीवन के लिये आवश्यक खाद्यान्नों अर्थात् भोजन भौतिक और आर्थिक रूप से दीर्घकाल के लिये सुनिश्चित करना, 'खाद्य सुरक्षा' है। आमतौर पर खाद्य सुरक्षा की अवधारणा की चर्चा समग्र जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के रूप में की जाती है। इस दृष्टि से यह अवधारणा संकुचित प्रतीत होती है। परंतु एक गतिशील और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा, समाज द्वारा प्राप्त विकास की अवस्था एवं प्रगति के साथ परिवर्तित होती रहती है। इस दृष्टि से खाद्य सुरक्षा की निम्नलिखित अवस्थाएँ कल्पित की गई हैं—

- **प्रथम अवस्था:** मानवीय जीवन को कायम रखने के लिये सभी को अनाज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिये।
- **द्वितीय अवस्था:** खाद्य सुरक्षा के रूप में अनाजों एवं दालों की पर्याप्त उपलब्धि अनिवार्य होनी चाहिये।
- **तृतीय अवस्था:** खाद्य सुरक्षा में अनाजों, दालों, दूध और दूध के उत्पादों अर्थात् पौष्टिक आहार को शामिल कर सकते हैं।
- **चतुर्थ अवस्था:** खाद्य सुरक्षा में अनाजों, दालों, दूध एवं दूध से निर्मित उत्पादों, सब्जियाँ, फल, अंडे, मछली एवं माँस को शामिल कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों (Why Food Security Matters)

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं भारत के लिये राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:-

- **बढ़ती हुई जनसंख्या:** संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2010 में 6.9 बिलियन थी एवं विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के परिणामस्वरूप यह 2050 में 9.6 बिलियन और 2100 में 10.9 बिलियन पहुँच जाएगी। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं के लिये खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि करनी होगी। इतनी विशाल जनसंख्या के लिये खाद्यान्न उपलब्ध करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।
- **कुपोषण की समस्या:** संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार विश्व में 821 मिलियन व्यक्ति अर्थात् प्रत्येक 9 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति को रात को खाली पेट सोना पड़ता है और प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति अल्पपोषण का शिकार है। यह एक अत्यंत

सामान्य परिचय (General Introduction)

‘मुद्रास्फीति’ से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह ‘मुद्रास्फीति की अवस्था’ कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना ही मुद्रास्फीति की अवस्था है। मुद्रास्फीति के कारण आगतों की कीमत तथा ब्याज दर में वृद्धि होती है, जिस कारण निवेश की लागत में भी वृद्धि होती है, जो कि संवृद्धि की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में जानी जाती है।

मुद्रास्फीति संबंधी अवधारणाएँ (Inflation Related Concepts)

मुद्रास्फीति (Inflation)

जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है अर्थात् वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत् रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे ‘मुद्रास्फीति’ कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि 1 जनवरी, 2019 को एक व्यक्ति ₹ 10 में 5 केले क्रय करता है, लेकिन अगले माह 1 फरवरी, 2019 को 5 केले क्रय करने के लिये उसे ₹ 15 खर्च करने पड़ें या वह ₹ 10 में केवल 4 केले ही क्रय कर सका तो ऐसे में वस्तु (केले) के मूल्य में वृद्धि एवं मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी प्रदर्शित होती है। इसे ही ‘मुद्रास्फीति’ कहा जाता है। यह व्यापार चक्रों का एक भाग है। अस्थायी तथा छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। मुद्रास्फीति को हमेशा बुरा नहीं माना जाता। मंदी के दौरान सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी को स्फीतिकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके परिणाम अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक नहीं होते हैं।

वस्तु की मांग ↑ + वस्तु की आपूर्ति ↓ ⇒ वस्तु की कीमत ↑
(मुद्रास्फीति)

मुद्रा अपस्फीति/विस्फीति (Disinflation)

यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है, जिसके तहत कीमतों को धीरे-धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति की दर कम होती जाती है, किंतु सकारात्मक बनी रहती है। यह सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का एक भाग है। यह अवस्फीति (Deflation) की तरह अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक नहीं है।

मुद्रा संकुचन/मुद्रा अवस्फीति (Deflation)

जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो इससे कीमतें घटती हैं, जिसे ‘मुद्रा संकुचन’ या ‘मुद्रा अवस्फीति’ कहा जाता है। मुद्रा अवस्फीति (Deflation) मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है, जो उस समय उत्पन्न होती है, जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार मूल्य में प्रत्येक गिरावट अवस्फीति नहीं होती है। यह मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत स्थिति है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे अथवा नकारात्मक होती है। इस प्रकार मुद्रा अवस्फीति (Deflation) में कीमतें तो गिरती हैं, परंतु उत्पादन एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है।

मुद्रा संस्फीति (Reflation)

यह मुद्रा अवस्फीति (Deflation) पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है, जिसके तहत बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे-धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत करों में कटौती, ब्याज दरों में कमी आदि करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। मुद्रा संस्फीति (प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति) की स्थिति अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को कम करने एवं वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा जान-बूझकर लाई जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों एवं आर्थिक संवृद्धि की दर को बढ़ाया जा सके। दूसरे शब्दों में, जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति (निम्न मुद्रास्फीति, अधिक बेरोजगारी एवं अल्प मांग) की समस्या का सामना कर रही हो तब सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है एवं कुछ वस्तुओं के मूल्य में अचानक एवं अस्थायी वृद्धि की जाती है। इस प्रकार की जाने वाली अस्थायी वृद्धि ‘मुद्रा संस्फीति’ (प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति) के रूप में जानी जाती है।

निस्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति (Stagflation)

जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियाँ साथ-साथ दिखाई दें अर्थात् बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ-साथ रहें तो उसे ‘निस्पंदन’ (Stagflation) कहते हैं। निस्पंदन की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर ऊँची, आर्थिक संवृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊँची बनी रहती है। इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, क्योंकि जहाँ बेरोजगारी को दूर करने के लिये मांग में वृद्धि हेतु विस्तारक राजकोषीय उपाय किये जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च स्फीति के समाधान हेतु संकुचनकारी नीतियाँ अपनाई जाती हैं।

वित्तीय बाज़ार (Financial Market)

वित्तीय बाज़ार एक व्यापक बाज़ार है, जहाँ पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों, जैसे-मुद्राओं, शेयर, बॉण्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय-विक्रय किया जाता है। वित्तीय बाज़ार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशील सुनिश्चित करना है। वित्तीय प्रणाली से आशय वित्तीय बाज़ार में उपस्थित वित्तीय संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

वित्तीय बाज़ार के दो प्रमुख अंग होते हैं-

1. मुद्रा बाज़ार (Money Market)
2. पूंजी बाज़ार (Capital Market)

मुद्रा बाज़ार (Money Market)

‘मुद्रा बाज़ार’ एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल (सामान्यतया एक वर्ष की अवधि) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा बाज़ार को दो भागों में बाँटा जा सकता है-1. संगठित/औपचारिक मुद्रा बाज़ार, 2. असंगठित/अनौपचारिक मुद्रा बाज़ार।

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है इसलिये मुद्रा बाज़ार को विनियमित करने का उत्तरदायित्व इसका ही है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ प्रमुख नीतिगत दरों का भी निर्धारण करता है। यह भारत में बैंकिंग संरचना का निर्धारण करता है एवं बैंकों के संचालन के लिये नियम-विनियम बनाता है, महत्वपूर्ण ब्याज दरों का निर्धारण कर मुद्रा को प्रवाह को एक दिशा देता है एवं मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अवस्फीति की समस्या का समाधान करते हुए अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी स्थिति बनाए रखता है।

भारत में संगठित मुद्रा बाज़ार के तीव्र विस्तार के बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र विद्यमान हैं। असंगठित मुद्रा बाज़ार में देशी बैंकर्स, महाजन, साहूकार, सेठ, चेटी इत्यादि प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

पूंजी बाज़ार (Capital Market)

‘पूंजी बाज़ार’ से आशय ऐसे वित्तीय बाज़ार से है जहाँ वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल (सामान्यतया एक वर्ष से अधिक) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। पूंजी बाज़ार पूंजी एवं बचत आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उन क्षेत्रों तक पूंजी पहुँचाता

है जहाँ पूंजी की मांग एवं कमी है। इस प्रकार पूंजी बाज़ार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजी बाज़ार को दो बाज़ारों में बाँटा जाता है- 1. प्राथमिक पूंजी बाज़ार, 2. द्वितीयक पूंजी बाज़ार।

मुद्रा (Money)

मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके जरिये वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, जो लेखा (Account) की इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, क्रय शक्ति का संचय कर सकती है और जिसे ऋण चुकाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ। परंतु औद्योगीकरण व नगरीकरण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी अर्थात् कागज़ के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बनाया। अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रांसिस ए.वॉकर के अनुसार, “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।” (“Money is what money does”.)

मुद्रा के कार्य (Functions of Money)

मूल्य का मापक

मुद्रा ही वह इकाई है, जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। चूँकि कीमत मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है, इस कारण वस्तु का मूल्य भी मौद्रिक रूपों में ही व्यक्त किया जाता है।

विनिमय का माध्यम

मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु एवं सेवा का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है।

स्थगित भुगतानों की माप

मुद्रा से भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का काम भी लिया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है जैसे कि पेंशन, मूलधन और ब्याज आदि का भुगतान।

भारत में बीमा (Insurance in India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

भारत में बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उल्लेख मनु (मनुस्मृति), याज्ञवल्क्य (धर्मशास्त्र) तथा कौटिल्य (अर्थशास्त्र) की रचनाओं में मिलता है। इन रचनाओं में बीमा का उल्लेख संसाधनों के संग्रह के रूप में किया गया है, जिनका पुनर्वितरण संकट के समय (जैसे-बाढ़, सूखा, महामारी, अकाल, अग्नि इत्यादि) में किया जा सके। वर्तमान समय में भी बीमा की पूर्वपीठिका यही है।

बीमा को एक वित्तीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बीमाधारक द्वारा उसके नियंत्रण के बाहर, किसी भी घटना के कारण होने वाली हानि की पूर्ण अथवा आंशिक भरपाई के लिये खरीदा जाता है अर्थात् बीमा जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जो प्राथमिक रूप से किसी आकस्मिक अथवा अनिश्चित हानि से संरक्षा प्रदान करता है। बीमा एक व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच समझौता होता है जिसके तहत जब तक बीमाधारक व्यक्ति बीमा में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है तब तक बीमा कंपनी द्वारा उसे किसी भी दुर्घटना से होने वाली क्षति पर आंशिक या पूर्ण भरपाई की सुविधा प्रदान की जाती है। किसी बीमा कंपनी द्वारा निम्न दो प्रकार के बीमा उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं- 1. जीवन बीमा और 2. साधारण बीमा।

- जीवन बीमा दुर्घटना से मृत्यु या साधारण मृत्यु तक का जोखिम वहन करता है, जबकि साधारण बीमा, जिसे गैर-जीवन बीमा भी कहते हैं, परिसंपत्तियों (Assets) से जुड़े जोखिम का बीमा करता है। पिछले कुछ वर्षों से बीमा के नए-नए स्वरूपों का विकास हुआ है, जैसे-स्वास्थ्य बीमा, पेंशन बीमा, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, किसी विशेष समारोह (Event) एवं वस्तु का बीमा इत्यादि।
- किसी भी बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसीधारकों को किस्त स्वरूप जो भुगतान करना पड़ता है, उसे 'प्रीमियम' कहते हैं।
- भारत में पहली बीमा कंपनी के रूप में 1818 में 'ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी' ने जीवन बीमा से संबंधित कार्य करना प्रारंभ किया। इसकी स्थापना कोलकाता में यूरोपियन्स के द्वारा की गई। हालाँकि यह कंपनी 1834 में विफल हो गई।
- 1870 में 'बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसायटी' नामक बीमा कंपनी ने पहली भारतीय बीमा कंपनी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया।
- 1912 में इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट, जीवन बीमा व्यापार को व्यवस्थित करने वाला पहला कानून बना।

- 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा भारत सरकार देश में कार्यरत जीवन बीमा एवं गैर-जीवन बीमा कंपनियों से जानकारी प्राप्त कर सकती थी।
- 1938 में बीमा अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा जनता के अधिकारों की सुरक्षा हेतु पहले से मौजूद कानूनों का एकीकरण एवं आवश्यक संशोधन किया गया।
- भारत में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 19 जनवरी, 1956 को हुआ। राष्ट्रीयकरण के समय भारत में करीब 154 जीवन बीमा कंपनियाँ, 16 विदेशी बीमा कंपनियाँ और 75 प्रोविडेंट सोसायटीज (कुल मिलाकर 245 भारतीय और विदेशी कंपनियाँ) कार्यरत थीं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI)

मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियमन के लिये भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1999 के तहत वर्ष 2000 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त निकाय है। इसके लिये 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अंशकालिक सदस्यों की व्यवस्था की गई है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह प्राधिकरण अपने मुख्यालय हैदराबाद (तेलंगाना) से काम करता है। इरडा का लक्ष्य पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, बीमा उद्योग से संबद्ध विनियमन, प्रवर्तन तथा क्रमिक वृद्धि को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही इरडा बीमे के साथ संबंध रखने वाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्यसंचालन को बढ़ावा देता है तथा बाजार की बीमा कंपनियों में वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक लागू करने के लिये एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण करता है।

इरडा वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने, बीमा संबंधी धोखाधड़ियों और अन्य अनुचित व्यवहारों की रोकथाम करने तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य भी करता है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्य एवं कर्तव्य (Functions and Duties of Insurance Regulatory and Development Authority of India)

आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 में आईआरडीए के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न हैं -

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं पर से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

राजकोषीय नीति के घटक



बजट (Budget)

बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिये आवंटित करने की एक प्रक्रिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। इस 'वार्षिक वित्तीय

विवरण' को ही 'आम बजट' कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

- सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं करेतर अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है।
- 1920-21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि रेलवे एक उद्यम है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकती है।

बजट 2017-18 की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि रेल बजट को आम बजट में समाहित करके पेश किया गया। उल्लेखनीय है कि 2017-18 के बजट के पहले तक रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में पेश किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से बजट प्रस्तुत करने की तिथि में भी बदलाव करके 1 फरवरी कर दिया गया, इससे पूर्व 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था।

- भारत में पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- केंद्रीय बजट में तीन लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं-
 - ◆ आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान
 - ◆ चालू वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित अनुमान
 - ◆ पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय

बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की संवृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax-GST)


एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय कराधान इतिहास में सबसे क्रांतिकारी कर सुधार माना जा रहा है। केंद्र व राज्य दोनों स्तरीय अधिभारों को समेटते हुए जीएसटी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जीएसटी सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाते हुए देश में आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित कर रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् किया गया सबसे बड़ा कर बदलाव जीएसटी-‘एक देश-एक कर-एक बाजार’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिये संकल्पित है।

जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसे पिछले चरणों में क्षतिपूर्ति (सेटऑफ) हेतु उपलब्ध कर के भुगतान के क्रेडिट प्राप्त करने के लिये वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक के सभी चरणों पर लगाया गया है। इसमें केवल मूल्य संवर्द्धन (Value Addition) पर ही कर लगाकर उसका बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 में एक नया खंड (12A) जोड़ा गया, जिसके अनुसार ‘वस्तु एवं सेवा कर’ का अर्थ है- मानव उपभोग के लिये मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले कर को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला कर। जीएसटी एक आधुनिक कर व्यवस्था है जो पहले से अधिक सरल एवं पारदर्शी और भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार भी है। जीएसटी से सरकार, उद्योग और उपभोक्ता सभी हितधारक लाभान्वित हो रहे हैं। भारत में जीएसटी के लागू होने से उपभोक्ताओं को दोहरे कराधान (कर पर कर-Cascading) से मुक्ति मिली है जिससे होने वाले लाभों के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी की अपेक्षा की जा रही है।

पूरे देश में एकरूप एकल अप्रत्यक्ष कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अखंड प्रवाह, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अवरोधों से संबंधित कर समाप्त होने, प्रचालन की कम लागत, शुरू से लेकर अंत तक आई टी सक्षम प्रणाली और कर प्राधिकरणों के साथ न्यूनतम संवाद के कारण व्यापार और उद्योग जगत को लाभ हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों को कर राजस्व की अधिक प्राप्ति हो रही है और कर संग्रहण की लागत भी न्यूनतम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएंगे, क्योंकि वस्तुएँ और सेवाएँ पुनः बिना किसी अतिरिक्त निहित कर के निर्यात की जा सकेंगी। जीएसटी लागू होने के कारण व्यापार सुगमता बढ़ने से ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

इसके साथ ही सस्ते आयातों से संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि सभी प्रकार के आयातों पर आधारभूत सीमा शुल्क (कर) के अतिरिक्त एकीकृत जीएसटी भी लगाया गया है। ये सभी लाभ मध्यम एवं दीर्घकाल में भारत की आर्थिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होंगे।



जीएसटी का स्वरूप (Nature of GST)

भारत एक संघीय ‘राज्य’ है, जहाँ केंद्र और राज्यों को उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और करों को एकत्र करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह कर केंद्र और राज्यों के द्वारा एक साथ, सामान्य कर आधार पर आरोपित दोहरा कर है। कर का प्रशासन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। एक राज्य के भीतर होने वाले लेन-देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाता है एवं सीजीएसटी केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। राज्यों द्वारा लगाए करों को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा गया है और एसजीएसटी संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाता है। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर-राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाने और प्रशासित करने की व्यवस्था है।

भुगतान की प्रक्रिया (Process of Payment)

करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट/आदानों पर भुगतानों का क्रेडिट (Input Tax Credit) लेने और उसका उपयोग आउटपुट कर देयताओं (Output Tax Liabilities) के भुगतान करने के लिये अनुमति दी गई है। आगम पर भुगतान किये गए सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग केवल निर्गत पर सीजीएसटी का भुगतान करने के लिये किया जाता है तथा आगम पर भुगतान किये गए एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के लिये क्रेडिट का उपयोग केवल एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भुगतान करने के लिये

निवेश मॉडल (Investment Model)

निवेश आर्थिक संवृद्धि दर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश की उपलब्धता या अनुपलब्धता आर्थिक संवृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। निवेश मॉडल का संबंध मुख्य रूप से निवेश निर्णयों से होता है। निवेश मॉडल निवेश का एक आदर्श ढाँचा होता है, जो निवेश के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में संसाधनों का इष्टतम दोहन सुनिश्चित करता है।

निवेश एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन एवं वित्तीय लाभ के लिये परिसंपत्तियों (Assets) में धन लगाया जाता है अर्थात् निवेश एक उत्पादक खर्च होता है जो उत्पादन अथवा उत्पादन जनित आय को बढ़ाने के लिये किया जाता है। निवेश मॉडल को मुख्यतया दो स्तरों पर समझा जा सकता है।

- व्यष्टि स्तर पर निवेश मॉडल:** व्यष्टि स्तर पर निवेश मॉडल किसी उत्पादन इकाई एवं व्यापारिक इकाई में लगने वाली पूंजी की उस मात्रा को व्यक्त करता है जो दिये हुए मांग के स्तर तथा लागत के संदर्भ में अधिकतम प्रतिफल या एक निश्चित प्रतिफल या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। सामान्यतया व्यष्टि स्तर पर निवेश मॉडल एक पोर्टफोलियो निर्धारण मॉडल है।
- समष्टि स्तर पर निवेश मॉडल:** समष्टि स्तर पर निवेश मॉडल मुख्यतया समस्त अर्थव्यवस्था में निवेश निर्णय से संबंधित होता है। समष्टि स्तर पर निवेश निर्णय के संबंध में सबसे प्रमुख समस्या यह जानने की होती है कि एक लक्षित आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिये निवेश की क्या मात्रा हो? जब हम नियोजित विकास प्रत्यागम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में तथा पूरी अर्थव्यवस्था के संबंध में निश्चित आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिये निवेश का आकार निर्धारित करते हैं तो निवेश मॉडल का प्रयोग करते हैं।

निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारक (Factors that determine the amount of Investment)

किसी अर्थव्यवस्था में एक समयावधि में कितने निवेश की आवश्यकता होगी या निवेश का क्या आकार होगा, यह निम्नांकित कारकों पर निर्भर करता है—

- अर्थव्यवस्था का आकार
- आर्थिक संवृद्धि की लक्षित दर
- वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात
- बचत की सीमांत प्रवृत्ति
- जनसंख्या वृद्धि दर
- तकनीक

यदि आर्थिक संतुलन की परवाह किये बिना अपेक्षित मात्रा से अधिक मात्रा में निवेश का निर्णय लिया जाता है तो यह स्थिति अति उत्पादन की अवस्था में ले जाती है। इसके विपरीत यदि अपेक्षित मात्रा से कम मात्रा में निवेश किया जाता है तो यह स्थिति अल्प उत्पादन की ओर ले जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थितियाँ अर्थव्यवस्था के आर्थिक संतुलन में समस्या उत्पन्न कर सकती है।

अर्थव्यवस्था की प्रकृति और निवेश मॉडल (Nature of Economy and Investment Model)

निवेश मॉडल का स्वरूप अर्थव्यवस्था की प्रकृति से भी निर्धारित होता है। विश्व में मुख्यतया तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ पाई जाती हैं—

समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूरे समुदाय का या सरकार का होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश पर निर्भरता अधिक होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है एवं निजी निवेश की संभावनाएँ भी सीमित होती हैं। आर्थिक वातावरण के प्रतिस्पर्धात्मक होने की संभावनाएँ सीमित होती हैं इसलिये अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है। सामान्यतया समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रकृति एक बंद अर्थव्यवस्था (Closed Economy) के समान होती है, इसलिये ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश हेतु संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। इसके परिणामस्वरूप निवेश के लिये घरेलू बचत पर निर्भरता बढ़ जाती है। इस प्रकार सीमित संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक संवृद्धि पर भी विपरीत प्रभाव डालती है एवं घरेलू बचत की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप उपलब्ध संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है एवं ऐसी स्थिति में निम्न बचत निम्न निवेश की ओर ले जाती है।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण निजी क्षेत्रों का होता है। यदि अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूंजीवादी है तो ऐसी अर्थव्यवस्था में उदार एवं प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक वातावरण की मौजूदगी निजी क्षेत्र की भूमिका को कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश पर निर्भरता कहीं अधिक होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रकृति एक खुली अर्थव्यवस्था के समान होती है, इसलिये ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश हेतु घरेलू बचत पर पूर्णतया निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की विदेशी निवेश और बाह्य वित्तीय बाजार तक पहुँच कहीं बेहतर होती है।

सामान्य परिचय (General Introduction)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी भारत का वैदेशिक क्षेत्र काफी लोचदार और सशक्त बना रहा। वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में भारत के चालू खाते का घाटा 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) रहा जो वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.4 प्रतिशत) था। अप्रैल-दिसंबर 2017 में वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात में 12.1 प्रतिशत एवं निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

IMF के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशत हो गई और यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2018 में यह बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो जाएगी। विश्व व्यापार का परिमाण वर्ष 2016 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.2 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व व्यापार का परिमाण 4 प्रतिशत अनुमानित है।

वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में वस्तुओं के आयात में 22.1 प्रतिशत और निर्यात में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान एफडीआई के अंतर्वाह में गिरावट के होते हुए भी, भारत में पोर्टफोलियो निवेश में त्वरित उत्थान के कारण निवल विदेशी निवेश में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में 78.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत के व्यापार भागीदारों में शीर्ष पाँच देशों, जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार शेष ऋणात्मक है, वे हैं- चीन, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, इराक और दक्षिण कोरिया; जबकि शीर्ष पाँच देशों, जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष शेष है, वे हैं- यूएसए, यूएई, बांग्लादेश, और नेपाल और यू.के। भारत के कुल व्यापार घाटा में प्रमुख योगदानकर्ता चीन के साथ इसका व्यापार घाटा है, जिसका हिस्सा 2011-12 में 20.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 47.3 प्रतिशत हो गया है।

चीन से भारत आयात की जाने वाली वस्तुओं में टेलीफोन, मोबाइल, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें, रासायनिक उर्वरक आदि शामिल हैं। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः सूती धागा, तांबा, पीओएल वस्तुएँ, ग्रेनाइट, एल्युमीनियम अयस्क, तेल, कपास, पॉलीमर और लौह अयस्क आदि हैं। स्विट्ज़रलैंड के मामले में व्यापार घाटे का मुख्य कारण सोने का आयात है। पिछले दो वर्षों के दौरान घाटे में गिरावट आई है, इसके अतिरिक्त इसके एक भाग को निर्यात में प्रयोग किया जाता है। सऊदी अरब और इराक के मामले में

घाटे का कारण कच्चे तेल का आयात करना है जबकि दक्षिण कोरिया के मामले में इसका कारण विद्युत उपकरणों-मशीनों तथा लौह-इस्पात का आयात है।

विश्व बैंक के अनुसार, 2017 में भारत सीमा पार प्रेषित धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना रहा एवं इसके बाद प्रेषित धन प्राप्त करने वाले देशों में चीन, फिलीपींस और मेक्सिको जैसे देशों के नाम हैं।

भुगतान संतुलन खाता (Balance of Payment Account)

- 'भुगतान संतुलन' का अर्थ है-एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन-देन, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा आय का लेन-देन शामिल होता है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात (दृश्य मदें), सेवाओं के निर्यात एवं आयात (अदृश्य मदें), वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे-स्टॉक्स, बॉण्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय, वास्तविक परिसंपत्तियों, जैसे-प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह लेन-देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' कहते हैं। किंडलबर्गर के शब्दों में, "एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के बीच में किये गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है।" इसके दो पक्ष होते हैं- 1. क्रेडिट साइड, 2. डेबिट साइड।
- क्रेडिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जबकि डेबिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।
- भुगतान संतुलन खाता में दिखाई जाने वाली मदों को दो भागों में बाँटा गया है-

1. दृश्य मदें (Visible Items)

इसके तहत भौतिक वस्तुओं के आयात-निर्यात को भुगतान संतुलन खाते में वस्तु खाता (Goods A/c) के तहत दिखाया जाता है। सामान्य तौर पर किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ वस्तु खाते से लगाया जाता है अर्थात् किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ दृश्य मदों के आयात एवं निर्यात से होता है और इन दृश्य मदों के आयात-निर्यात का अंतर 'व्यापार संतुलन' (Balance of Trade) कहलाता है।

2. अदृश्य मदें (सेवाएँ) (Invisible Items)

अदृश्य मदों में सेवाएँ आती हैं और इसके आयात-निर्यात को सेवा खाता (Service A/c) के तहत दिखाया जाता है अर्थात् सेवाओं के आयात-निर्यात का अर्थ है, अदृश्य मदों का आयात-निर्यात।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF)

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैंपशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ (Bretton Woods Twins) के नाम से जाना जाता है।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 189 सदस्य हैं। नौरू गणराज्य (Republic of Nauru) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला आखिरी (189वाँ) देश है।
- क्रिस्टिन लेगार्ड (Christine Lagarde) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट (Camille Gutt) थे।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ज़िम्मेदारियाँ (Responsibilities of IMF)

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना;
- सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना;
- सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना;
- सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना;
- बहुपक्षीय भुगतानों (Multilateral Payments) की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना;
- धन शोधन (Money Laundering) तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना;
- विश्व में गरीबी को कम करने के लिये प्रयास करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना (Administrative Structure of IMF)

- गवर्नर मंडल (Board of Governors) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, जिसमें इसके सभी 189 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कोष के गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री अथवा उसके केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है। इसके साथ ही प्रत्येक देश द्वारा कोष के गवर्नर मंडल में एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है, जो गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर मंडल की बैठकों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के गवर्नर मंडल अपने संबंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने हेतु सामान्यतः वर्ष में एक बार मिलते हैं। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को सलाह प्रदान करने हेतु गठित 24 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) की बैठकों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। पहली बैठक 'बसंत बैठक' (Spring Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है, जबकि दूसरी बैठक 'वार्षिक बैठक' (Annual Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः प्रति वर्ष सितंबर-अक्तूबर माह में आयोजित की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल ने अपनी अधिकांश शक्तियों को कार्यकारी मंडल (Executive Board) के पक्ष में प्रत्यायोजित (Delegate) कर दिया है, लेकिन सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने, विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटन, नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों की अनिवार्य वापसी तथा समझौते के अनुच्छेदों (Articles of Agreement) एवं उपविधि (By-laws) में संशोधन करने के अधिकार अभी भी गवर्नर मंडल के पास हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी मंडल इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों की देखभाल करता है। कार्यकारी मंडल में कुल 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिनका चयन गवर्नर मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकारी मंडल में सभी 189 देशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके लिये सदस्य देशों को 24 समूहों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को दो मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है-
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (International Monetary and Financial Committee-IMFC)
 - ◆ विकास समिति (Development Committee)

सामान्य परिचय (General Introduction)

अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को श्रम बल के संसाधन के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा श्रम बल की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये श्रम बल को अन्य संसाधनों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या किसी क्षेत्र-विशेष से जुड़ी एक परिकल्पना है, जिसमें समाज के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित भू-भाग (गाँव, शहर, ज़िला, राज्य, देश या महाद्वीप) में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही 'जनसंख्या' कहलाती है।

नोट:

- भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग निवासित है।
- 11 जुलाई, 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के बिंदु को पार कर गई। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनियाभर में जागरूकता फैलाने के लिये जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। अतः प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।


जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत (Theories Related to Population)

जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं-

माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत (Malthusian Theory of Population)

- ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने 1798 में अपनी एक पुस्तक 'एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन' के माध्यम से 'जनसंख्या का सिद्धांत' प्रस्तुत किया। माल्थस का सिद्धांत किसी देश की खाद्यान्न वृद्धि दर एवं जनसंख्या वृद्धि दर के बीच संबंध स्थापित करता है। माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय दर या गुणोत्तर श्रेणी (Geometric Progression) अर्थात् 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न वृद्धि दर अंकगणितीय दर या समानांतर श्रेणी (Arithmetic Progression) अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5 आदि से बढ़ती है। परिणामतः एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है और उसकी अपेक्षा खाद्यान्न कम हो जाता है अर्थात् जनाधिक्य की समस्या पैदा होती है।

- माल्थस के अनुसार जनाधिक्य की समस्या के समाधान के दो उपाय हैं- पहला, प्राकृतिक या नैसर्गिक उपाय और दूसरा, कृत्रिम उपाय।
- माल्थस ने बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप, युद्ध को जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय कहा है, जिन्हें प्रकृति अपनाती है; जबकि कृत्रिम उपाय के तहत देर से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि शामिल हैं, जिन्हें मानव अपनाता है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के नैसर्गिक उपाय बहुत अधिक कष्टदायी होते हैं और यदि मानव इन कष्टों से बचना चाहता है तो उसे जनसंख्या नियंत्रण के कृत्रिम उपायों को स्वयं अपना लेना चाहिये।



- उल्लेखनीय है कि माल्थस का सिद्धांत विश्व के किसी भी देश में लागू हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसका प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र के नए अनुसंधान एवं तकनीकी प्रगति है, जिसने जनसंख्या वृद्धि दर के ऊपर खाद्यान्न वृद्धि दर को हावी बनाए रखा है, परंतु माल्थस के सिद्धांत की प्रासंगिकता यह है कि यह चेतावनी देता है कि जनसंख्या का अति रूप में बढ़ना खतरनाक है।

जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत (The Optimum Theory of Population)

इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती क्योंकि जनसंख्या किसी भी देश का मानवीय संसाधन है। अतः किसी भी देश के प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों के अनुसार मानवीय संसाधनों का भी एक आदर्श स्तर होना चाहिये, जिसे 'अनुकूलतम जनसंख्या' कहते हैं। यदि किसी देश की जनसंख्या इस अनुकूलतम जनसंख्या से कम है तो वहाँ पर जनसंख्या का बढ़ना उचित माना जाता है।

Think
IAS



Think
Drishti

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)


सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) (19 बुकलेट्स) ₹10,000/-	सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) (26 बुकलेट्स) ₹13,000/-	इतिहास (वैकल्पिक विषय) (12 बुकलेट्स) ₹7,000/-
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) (27 बुकलेट्स) ₹13,000/-	सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (31 बुकलेट्स) ₹15,000/-	दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय) (4 बुकलेट्स) ₹6,000/-
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (39 बुकलेट्स) ₹17,500/-		हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय) (13 बुकलेट्स) ₹7,000/-

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 + 10 बुकलेट्स) (₹15,500/-) सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 बुकलेट्स) (₹14,000/-)	मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-) सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)	राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (34 बुकलेट्स) ₹10,500/-
---	---	--

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-)	सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)	बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (25 बुकलेट्स) ₹10,000/-
--	--	---

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें
8448485520, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें



641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9

Ph.: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtipublications.com, www.drishtias.com

E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-934662-9-2



9 788193 466292

मूल्य : ₹ 330